

असाधारण

**EXTRAORDINARY** 

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197] No. 197] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2014/आषाढ़ 20, 1936 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2014/ASHADHA 20, 1936

> संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए)

## अधिसूचना

गोवा, 30 जून, 2014

## नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2015-2018

## संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण प्रशुल्क) विनियम, 2014

सं. जेईआरसी-18/2014.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 61, 62, 83 और 86 के साथ पठित धारा 181 की उप-धारा (1) और धारा 181 की उप-धारा (2) के खण्ड (जेड डी), (जेड ई) और (जेड एफ) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों तथा पूर्व प्रकाशनों के बाद इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शिक्तयों का प्रयोग करते हुए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है।

## भाग-I प्रारंभिक

#### 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- 1.1 इन विनियमों को गोवा राज्य और संघ-शासित क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय वितरण प्रशुल्क) विनियम, 2014 कहा जाएगा।
- 1.2 ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

#### 2. अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र और सीमा

- 2.1 ये विनियम गोवा राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमन व दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुड़चेरी संघ शासित क्षेत्रों में सभी वितरण लाइसेंसधारियों पर लागू होंगे।
- 2.2 ये विनियम 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2018 तक (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015-18 तक) के अंतर्गत शामिल सभी मामलों में प्रशुल्क के निर्धारण के लिए लागू होंगे।

2832 GI/2014 (1)

2.3 ये विनियम संपूर्ण गोवा राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नगर हवेली, दमन एवं दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुड्डचेरी पर लागू होंगे।

## 3. परिभाषाएं

- 3.1 इन विनियमों में जब तक कि अन्यथा संदर्भ में अपेक्षित न हो -
  - 3.1.1 "अधिनियम" का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) से है;
  - 3.1.2 "कुल राजस्व आवश्यकता" या "एआरआर" का अर्थ इन विनियमों के अनुसार लाइसेंस व्यापार, जिसकी अनुमित दी गई हो, से संबंधित लागत से है जिसकी वसूली आयोग द्वारा निर्धारित प्रशुल्क और प्रभारों से की जाएगी;
  - 3.1.3 "**आधार वर्ष**" का अर्थ नियंत्रण अविध के तत्काल पूर्व वर्ष वाले वित्तीय वर्ष से है जिसका इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है;
  - 3.1.4 "**आयोग**" का अर्थ "संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग" से है;
  - 3.1.5 "व्यापार नियमों का आचरण" का अर्थ समय-समय पर संशोधित अनुसार गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र (कार्य संचालन) विनियम, 2009 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग से है।
  - 3.1.6 "नियंत्रण अवधि" का अर्थ वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2017-18 तक तीन वित्तीय वर्षों को शामिल की जाने वाली बहुवर्षीय अवधि से है, और इसे इन विनियमों के अनुसार पूर्वानुमान प्रस्तुत करने के लिए आयोग द्वारा बढ़ाया जा सकता है;
  - 3.1.7 "**वित्तीय वर्ष**" का अर्थ कैलेण्डर वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले कैलेण्डर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त अविध से है;
  - 3.1.8 "लाइसेंस" का अर्थ अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ख) के अंतर्गत प्रदान किए गए लाइसेंस से है;
  - 3.1.9 "**लाइसेंस व्यापार**" का अर्थ ऐसे कार्यों और कार्यकलापों से है जिसे लाइसेंसधारी को आयोग द्वारा प्रदत्त लाइसेंस की शर्तों के अनुसार लेना होता है या जो अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंसधारी माना गया हो;
  - 3.1.10 ''**लाइसेंसधारी**'' का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया गया हो और इसमें माने गए लाइसेंसधारी भी शामिल होंगे;
  - 3.1.11 "गैर-प्रशुल्क आय" का अर्थ प्रशुल्क (व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति) के अलावा लाइसेंस व्यापार से संबंधित आय से है, और इसमें अन्य व्यापार, प्रति-राजसहायता अधिभार और अतिरिक्त अधिभार शामिल नहीं है;
  - 3.1.12 "**अन्य व्यापार**" का अर्थ अधिनियम की धारा 51 के अर्थ में दी गई परिसंपत्तियों के अधिकतम उपयोग के लिए वितरण लाइसेंसधारी के अन्य किसी व्यवसाय से है;
  - 3.1.13 "**खुदरा आपूर्ति व्यापार**" का अर्थ बिजली के वितरण और खुदरा आपूर्ति हेतु लाइसेंस की शर्तों के अनुसार आपूर्ति के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बिजली की बिक्री के व्यापार से है;
  - 3.1.14 "**व्हीलिंग**" का अर्थ उस प्रचालन से है जिसके द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत निर्धारित किए जाने वाले प्रभारों के भुगतान पर बिजली के संप्रेषण हेतु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वितरण प्रणाली और वितरण लाइसेंसधारी की संबद्ध सुविधाओं का प्रयोग किया जाता है और ऐसी स्थिति में जहां उपभोक्ता द्वारा वितरण प्रणाली और संबद्ध सुविधाओं का प्रयोग आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार, यदि लागू हो, व्हीलिंग

के प्रभारों पर अतिरिक्त प्रभार जिसे अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ताकि अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (4) और अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अंतर्गत व्हीलिंग प्रभारों के अंतर्गत आपूर्ति करने की उसकी बाध्यता से उत्पन्न ऐसे वितरण लाइसेंसधारी की नियत लागत पूरी हो सके;

- 3.1.15 "**व्हीलिंग व्यापार**" का अर्थ वितरण लाइसेंसधारी की आपूर्ति के क्षेत्र में बिजली के संप्रेषण के लिए वितरण प्रणाली के प्रचालन और रखरखाव के कार्य से है।
- 3.2 इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम में परिभाषित किया गया हो, का वह अर्थ होगा जैसाकि अधिनियम में उन्हें क्रमश: सौंपा गया है।
- 3.3 " आवेदन " या "याचिका" शब्दों को एक-साथ परिभाषित किया जाएगा।

#### भाग-II

#### सामान्य सिद्धांत

## बहुवर्षीय प्रशुल्क ढांचा

- 4.1 आयोग 1 अप्रैल, 2015 से बहुवर्षीय प्रशुल्क ढांचे के अंतर्गत बिजली के वितरण कार्य हेतु प्रशुल्क निर्धारित करेगा:
- 4.2 बहुवर्षीय प्रशुल्क ढांचा कुल राजस्व आवश्यकता की गणना के लिए निम्नलिखित कारकों और वितरण कार्य के लिए प्रशुल्क और प्रभारों पर आधारित होगा:
  - i. नियंत्रण अवधि शुरू होने से पूर्व आवेदक द्वारा मौजूदा प्रशुल्क और प्रभारों से कुल राजस्व आवश्यकता और अपेक्षित राजस्व प्रस्तुत किया जाएगा और इसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा;
  - ii. आवेदक द्वारा आयोग के अनुमोदन हेतु नियंत्रण अविध के प्रत्येक वर्ष के लिए इन विनियमों में विनिर्दिष्ट निष्पादन मापदण्डों के परिचालन मानदंडों और मार्गों पर आधारित एक विस्तृत कार्य-योजना प्रस्तुत की जाएगी;
  - iii. आयोग के आदेश द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना के आधार पर, आवेदक नियंत्रण अविध के प्रत्येक वर्ष के लिए मौजूदा प्रशुल्क से कुल राजस्व की आवश्यकता और संभावित राजस्व के पूर्वानुमान सिहत एक याचिका प्रस्तुत करेगा और आयोग नियंत्रण अविध के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रशुल्क को अनुमोदित करेगा।
  - iv. इन विनियमों में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अनियंत्रित तथ्यों के कारण अनुमोदित लाभ हानि को आगे पास करने की प्रणाली होनी चाहिए;
  - v. इन विनियमों में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार नियंत्रित करने योग्य कारकों से उत्पन्न अनुमोदित लाभ या हानि को परस्पर बांटने की प्रणाली होगी।

#### 5. व्यवसाय कार्य-योजना

5.1 वितरण लाइसेंसधारी 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2018 तक तीन वित्तीय वर्षों की नियंत्रण अवधि के लिए एक कार्य-योजना प्रस्तुत करेगा जिसमें विस्तृत श्रेणी-वार बिक्री और मांग अनुमानों, बिजली खरीद योजना, पूंजी निवेश योजना, वित्त-पोषण योजना तथा वास्तविक लक्ष्य शामिल होंगे जो इन तक ही सीमित नहीं होंगे .

बशर्ते कि यदि आयोग समय-समय पर दिशा-निर्देश और प्रपत्र जारी करता है तो इसका वितरण लाइसेंसधारी द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

- 5.2 पूंजीगत निवेश योजना में चल रही परियोजनाओं को अलग से दर्शाया जाएगा जो वित्तीय वर्ष 2015-2016 तक चलेंगी और शुरू होने वाली नई परियोजनाएं (औचित्य सिहत) प्रशुल्क अविध अर्थात् 31.03.2018 तक या उसके बाद पूरी की जाएंगी। आयोग पूंजी निवेश योजना पर विचार करके उसे अनुमोदित करेगा जिसके लिए वितरण लाइसेंसधारी प्रासंगिक तकनीकी और वाणिज्यिक ब्यौरा उपलब्ध कराएगा।
- 5.3 वितरण लाइसेंसधारी ऊर्जा दक्षता (ईई) और मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य के प्रभाव पर विचार करने के बाद बिजली खरीद आवश्यकता का अनुमान लगाएगा:

बशर्ते कि संबंधित वितरण लाइसेंसधारी की बिजली क्रय लागत को ऊर्जा दक्षता आयोग (ईई) और मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) योजनाओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद अनुमित दी जाएगी, तथा लक्ष्य को पूरा करने में किसी कमी को प्रशुल्क के निर्धारण हेतु संबंधित वितरण लाइसेंसधारी की बिजली खरीद की सीमांत लागत पर आयोग द्वारा अनुमित नहीं दी जाएगी।

## 6. **एआरआर पूर्वानुमान**

- 6.1 आवेदक आयोग के आदेश द्वारा अनुमोदित अनुसार कार्य-योजना के आधार पर जेईआरसी (कार्य संचालन) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट अनुसार ऐसे देय शुल्क सहित तथा नियंत्रण अविध के शुरू होने से पूर्व वर्ष के 30 नवंबर तक जेईआरसी (प्रशुल्क के निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्त) के अनुसार याचिका द्वारा नियंत्रण अविध हेतु कुल राजस्व आवश्यकता और प्रशुल्क से संभावित राजस्व का पूर्वानुमान प्रस्तुत करेगा।
- 6.2 कुल राजस्व आवश्यकता का पूर्वानुमान व्यक्तिगत परिवर्तनशील आचरण से संबंधित अनुमानों का प्रयोग करके लगाया जाना चाहिए जिसमें नियंत्रण अविध के दौरान कुल राजस्व आवश्यकता शामिल हो।
- 6.3 प्रशुल्क और प्रभारों से संभावित राजस्व का पूर्वानुमान निम्नलिखित के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए:
  - (क) उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली बिजली की मात्रा तथा नियंत्रण अवधि के अंदर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वितरण प्रणाली प्रयोक्ताओं की ओर से लगाए गए व्हील का अनुमान लगाना; और
  - (ख) आवेदन करने की तारीख को प्रचलित प्रशुल्क।

## 7. कुछ परिवर्तनों के लिए विशिष्ट आयन

7.1 आयोग राज्य में विद्युत उद्योग के पुनर्गठन, पुनर्संरचना और विकास के संबंध में कुछ परिवर्तनों के लिए व्यापार योजना को अनुमोदित करते समय आयन को अनुमोदित करेगा :

बशर्ते कि जिस आयन के लिए परिवर्तन किया गया है, उसे लाइसेंसधारी द्वारा दर्शाया जाना चाहिए जिसमें प्रचालन एवं रखरखाव व्यय मानदण्डों, आपूर्ति उपलब्धता और वॉयर उपलब्धता तथा वितरण हानि तक सीमित न हो।

## 8. निष्पादन और वास्तविक-मूल्य की वार्षिक समीक्षा

- (1) आयोग प्रशुल्क आदेश में आयोग द्वारा अनुमोदित व्यय और राजस्व के अगले प्रशुल्क आदेश सिहत समीक्षा करेगा। ऐसा करते समय, आयोग संगत वर्ष के लिए बिजली की बिक्री के अनुमोदन और संशोधित अनुमानों/वास्तविकता के बीच अंतर पर विचार करेगा यदि ऐसा अंतर पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारणों से हो। ऐसी प्रक्रिया को 'समीक्षा' कहा जाएगा।
- (2) एक वर्ष के लेखा-परीक्षित लेखा उपलब्ध कराने के बाद आयोग लेखा-परीक्षित लेखाओं के अनुसार उपलब्ध अंतिम वास्तविक आंकड़ों या अंतिम वास्तविक लेखाओं के संदर्भ में उपर्युक्त अनुसार समान कार्रवाई करेगा। लेखा-परीक्षित लेखाओं के संदर्भ में इस प्रक्रिया को 'टूइंग अप' कहा जाएगा। किसी वर्ष के लिए टूइंग-अप सामान्यतया समीक्षा के एक वर्ष से अधिक पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (3) आगामी वर्ष के राजस्व अंतर/अधिशेष, यदि कोई हो, को समीक्षा और टूइंग-अप प्रक्रिया के परिणामस्वरूप समायोजित किया जाएगा।
- (4) समीक्षा और/या टूइंग-अप प्रक्रिया से उत्पन्न अनुसार भावी वर्षों में ऐसे व्यय/राजस्व को अनुमोदित करते समय आयोग ऐसे व्यय/राजस्व के आयोग द्वारा निर्धारित परिवहन लागत की अनुमित दे सकता है। परिवर्तन लागत कार्यशील पूंजी उधार के लिए अनुमोदित ब्याज दर तक सीमित होगी।
- (5) अनुमोदनों में कोई संशोधन करने के लिए लाइसेंसधारी को आयोग को यह संतुष्ट करना होगा कि संशोधन उनके नियंत्रण से परे स्थितियों के कारण है।
- (6) यदि किसी विशिष्ट श्रेणी में कोई अतिरिक्त आपूर्ति की जानी है तो लाइसेंसधारी वर्ष के दौरान किसी भी समय इसके अनुमोदन के लिए आयोग को आवेदन कर सकता है। यह आवेदन बिजली की ऐसी अतिरिक्त आपूर्ति की आवश्यकता को दर्शाएगा तथा बिजली की ऐसी अतिरिक्त आपूर्ति की लागत को पूरा करने के लिए लाइसेंसधारी किस तरह प्रस्ताव करेगा, को भी दर्शाएगा।

#### 9. नियंत्रणयोग्य और अनियंत्रणयोग्य लक्ष्य

- 9.1 ''अनियंत्रण-योग्य कारकों'' में निम्नलिखित लक्ष्य शामिल होंगे जो नियंत्रण से परे होंगे और उनका उपशमन आवेदक को न किया जा सकता हो:
  - (क) अप्रत्याशित घटनाएं जैसे युद्ध, आगजनी, प्राकृतिक आपदाएं आदि।
  - (ख) विधि परिवर्तन:
  - (ग) कर और शुल्क;
  - (घ) बिक्री में अंतर; और
  - (ड.) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के कारण विद्युत सृजन और/या बिजली क्रय की लागत में अंतर।
- 9.2 आवेदक के कार्य-निष्पादन में कुछ परिवर्तनीय अंतर या संभावित अंतर, जिसमें आयोग द्वारा नियंत्रणयोग्य तथ्यों के कारण भी शामिल हों, किंतु जो निम्नलिखित तक सीमित न हों:
  - (क) किसी पूंजीगत व्यय परियोजना के कार्यान्वयन में समय और/या लागत बढ़ने/दक्षता के कारण पूंजीगत व्यय में अंतर ऐसी परियोजना के कार्यक्षेत्र में अनुमोदित परिवर्तन, सांविधिक शुल्क में परिवर्तन या अप्रत्याशित घटनाओं के कारण नहीं होगा;
  - (ख) बंडल उपयोगिताओं के मामले में पारेषण और वितरण हानि (टीएण्डडी) तथा बंडल रहित उपयोगिताओं में बंडल प्रतियोगिताओं और वितरण हानि में अंतर को वितरण प्रणाली में यूनिट इनपट तथा आपूर्ति की गई युनिटों और बिलों के बीच अंतर के रूप में मापा जाएगा।
  - (ग) मूल्य ह्रास और कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं।
  - (घ) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (निष्पादन मानक) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने में असफल रहना, सिवाय उनके जो आयोग के निर्देशों के योग्य हों।
  - (ड.) संचालन और रखरखाव के खर्च में बदलाव।
  - (च) वॉयरों और आपूर्ति की उपलब्धता में अंतर।
  - (छ) मुद्रा स्फीति के कारण अंतर।
- 10. मानदण्डों और लक्ष्यों के संबंध में लाभ बांटने की प्रणाली

लाभ या हानि को आगे देने की प्रणाली:

- 10.1 लाइसेंसधारी इन विनियमों में आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों या आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की तुलना में 70% लाभ उपभोक्ताओं को देगा और शेष 30% अपने पास रखेगा।
- 10.2 इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार और इन विनियमों के अंतर्गत पारित आयोग के आदेश में निर्धारित अनुसार वितरण लाइसेंसधारी को अनियंत्रित तथ्यों के कारण वितरण लाइसेंसधारी को हुए अनुमोदित कुल लाभ या हानि को वितरण लाइसेंसधारी के प्रशुल्क में समायोजन के रूप में दिया जा सकता है।
- 10.3 वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किए गए व्यय और अर्जित राजस्व के बीच अंतर का ऐसा ब्योरा आयोग द्वारा सत्यापन के लिए अपेक्षित अनुसार विस्तृत गणना और सहायक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेगा।
- 10.4 इस विनियम 10 में निहित कुछ भी ईंधन और बिजली खरीद के मूल्य में अंतर से होने वाले किसी लाभ या हानि पर लागू नहीं होगा, जिससे आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अनुसार निपटा जाएगा।

## 11. मानदण्डों और लक्ष्यों के संबंध में हुई हानि को परस्पर बांटने की प्रणाली

(1) लाइसेंसधारी आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों या आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी असफलता के कारण हुआ पूरा नुकसान उठाएगा।

#### भाग-III

#### प्रक्रिया

## 12. प्रशुल्क के निर्धारण के लिए आवेदन करने से संबंधित प्रक्रिया

- 12.1 कार्य-योजना के अनुमोदन हेतु आवेदन जेईआरसी (कार्य संचालन) विनियम, 2009 के अनुसार नियंत्रण अविध के शुरू होने से पूर्व वर्ष के 30 सितंबर तक प्रस्तुत किया जाएगा, और इसके साथ एक लाख रुपए (1,00,000/- रुपए मात्र) का शुल्क लगाना होगा।
- 12.2 प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए आवेदन प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक इस प्रकार और इस ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि इस विनियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, और इसके साथ आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार ऐसा शुल्क भी देना होगा।
  - प्रशुल्क के निर्धारण हेतु आयोग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही समय-समय पर संशोधित जेईआरसी (कार्य संचालन) विनियम, 2009 के अनुसार होगी।
- 12.3 प्रशुल्क के निर्धारण की याचिका के साथ पिछले वर्ष, वर्तमान वर्ष और आगामी वर्ष की सूचना दी जानी चाहिए जिसमें सम्पूर्ण नियंत्रण अविध की अपेक्षित विस्तृत अनुमान और मापदण्ड के साथ-साथ विविध प्रभार सहित प्रशुल्क और प्रभारों से संभावित राजस्व दर्ज होना चाहिए:
  - बशर्ते कि आवेदन के साथ श्रेणी-वार प्रशुल्क दर्शाने वाला एक विस्तृत प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव होना चाहिए कि नियंत्रण अविध के प्रत्येक वर्ष के लिए कुल राजस्व आवश्यकता में अंतर, यदि कोई हो, को ऐसे संशोधन से किस तरह पूरा किया जाएगा:
  - बशर्ते आगे यह कि पिछले वर्ष की सूचना लेखा-परीक्षित लेखाओं पर आधारित होगी और यदि पिछले वर्ष का लेखा-परीक्षित लेखा उपलब्ध न हो तो तत्काल पूर्व पिछले वर्ष के लेखा-परीक्षित लेखाओं को पिछले वर्ष के बिना जांचे लेखाओं के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए:
- 12.4 वितरण लाइसेंसधारी अपने अंतिम प्रशुल्क आदेश में आयोग द्वारा जारी निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुपालन की स्थिति पर याचिका सहित एक विवरण प्रस्तुत करेगा।
- 12.5 प्रशुल्क के निर्धारण की याचिका में वितरण लाइसेंसधारी तथा पिछले वर्ष के लिए ट्रूअप याचिका के दावे की तुलना में राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन से प्राप्त वास्तविक राजसहायता का ब्यौरा शामिल किया जाएगा।
- 12.6 आयोग, व्यापार योजना के अनुमोदन और प्रशुल्क के निर्धारण के लिए आवेदन, जैसी भी स्थिति हो, के अनुमोदन हेतु आवेदन, यदि कोई हो, में अपर्याप्तता पर स्पष्टीकरण और अतिरिक्त सूचना मांग सकता है।

- 12.7 वितरण लाइसेंसधारी अपेक्षित अनुसार सभी स्पष्टीकरण और सूचना सहित आयोग को शीघ्र उत्तर देगा।
- 12.8 आयोग व्यापार योजना के अनुमोदन तथा व्यापार योजना की प्रारंभिक जांच के बाद प्रशुल्क के निर्धारण हेतु आवेदन को स्वीकार करेगा।
- 12.9 इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं के अनुपालन में अपेक्षित सूचना, विवरण और दस्तावेजों सिहत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर व्यापार योजना के अनुमोदन हेतु आवेदन तथा प्रशुल्क के निर्धारण हेतु आवेदन, जैसा मामला हो, को प्राप्त हुआ समझा जाएगा और आयोग या सिचव या विनिर्दिष्ट अधिकारी आवेदक को यह सुचित करेगा कि आवेदन प्रकाशन के लिए तैयार हैं।
- 12.10 आवेदक प्रस्तावित व्यापार योजना या प्रस्तावित प्रशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, और ऐसे अन्य मामले जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएं, और जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करते हुए विनियम 12.9 के अनुसार उसे प्राप्त सूचना के तीन(3) दिनों के अंदर क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित कम से कम तीन (3) समाचार पत्रों में एक नोटिस प्रकाशित करेगा:

बशर्ते कि आवेदक किसी इच्छुक पार्टी को पूर्ण आवेदन की हार्ड कॉपी ऐसे खपत और ऐसी दरों पर उपलब्ध कराएगा जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया गया हो:

बशर्ते आगे यह कि आवेदक, आयोग द्वारा निर्धारित सभी विनियामक प्रस्तुतियों, सूचना, विवरण और दस्तावेजों सिहत आयोग को प्रस्तुत आवेदन को अपनी वेबसाइट पर डाउनलोड हो सकने वाली स्प्रेडशीट फार्मेट में दर्शाएगा जिसमें विस्तृत गणना दर्शाई गई हो:

बशर्ते आगे यह भी कि उपर्युक्त दूसरे परंतुक में उल्लिखित सूचना तक वेबलिंक द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता हो, जिससे डाउनलोडिंग हो सके तथा इसे आवेदक की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए:

बशर्ते यह कि आवेदक, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी कोई सूचना, विवरण और दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराएगा या प्रस्तुत नहीं करेगा, जो गोपनीय प्रकृति की हो।

स्पष्टीकरण —इस विनियम के प्रयोजन हेतु "डाउनलोड हो सकने वाली स्प्रेडशीट फार्मेट" का अर्थ एक (या बहु, लिंकड) स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर फाइलों से है जिसमें सभी अनुमान, फार्मूले, गणना, सॉफ्टवेयर मैक्रोज और आउटपुट शामिल हो जिनसे आवेदन का आधार बनता हो।

12.11 व्यापार योजना के अनुमोदन हेतु आवेदन तथा प्रशुल्क के निर्धारण के लिए आवेदन में विलंब होने/प्रस्तुति न करने, जैसी भी स्थिति हो, अतिरिक्त सूचना के मामले में इन विनियमों में निहित किसी बात के होते हुए आयोग उक्त आवेदनों को प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को देखते हुए स्वतः कार्यवाहियां प्रारंभ कर सकता है:

बशर्ते कि उपर्युक्त कार्यवाही के बावजूद आवेदन को प्रस्तुत न करने वाले लाइसेंसधारी के मामले में आयोग अपनी ओर से पिछले वर्ष के प्रशुल्क ब्योरे के आधार पर तथा उपयुक्त समायोजन करने के बाद प्रशुल्क पर निर्णय ले सकता है:

बशर्ते आगे यह कि आयोग अधिनियम की धारा 129 और/या धारा 142 के अंतर्गत यदि आवश्यक हो, निर्देश भी पारित कर सकता है।

## 13. व्यापार योजना और प्रशुल्क आदेश अनुमोदित करने का आदेश

- 13.1 व्यापार योजना को अनुमोदित या रद्द करने का आदेश, जहां तक व्यावहारिक हो, पूर्ण व्यापार योजना की प्राप्ति से तीस (30) दिनों के अंदर जारी किया जाना चाहिए।
- 13.2 आयोग प्रशुल्क निर्धारण के लिए पूर्ण आवेदन प्राप्त होने से एक सौ बीस दिनों (120) के अंदर तथा जनता और शेयरधारकों से प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों पर विचार करेगा:—
  - (क) ऐसे संशोधनों या ऐसी स्थितियों सहित आवेदन स्वीकार करने के लिए प्रशुल्क आदेश जारी करना जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

- (i) सरकारी राजसहायता के प्रभाव को ध्यान में रखने से पहले उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों से वसूल किए जाने वाले प्रभार।
- (ii) पारेषण और वितरण हानि जिन्हें एक-साथ या अलग-अलग निर्धारित किया गया हो।
- (iii) खुले उपयोग उपभोक्ताओं के लिए व्हीलिंग प्रभार।
- (iv) विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिभार।
- (v) अतिरिक्त अधिभार, यदि आवश्यक समझा जाए।
- (ख) आवेदन को रद्द करना तथा उसके कारणों को लिखित में दर्ज करना, यदि ऐसा आवेदन अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों या विद्यमान अन्य किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार न हों:

बशर्ते कि आवेदक को उसका आवेदन रद्द करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए।

- 13.3 आवदेक आयोग द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क को कम से कम तीन (3) दैनिक समाचार पत्रों में तीन (3) दिनों के अंदर प्रकाशित करेगा जहां आपूर्ति के क्षेत्र में उनका व्यापक परिचालन हो और उन्हें अपनी वेबसाइट पर अनुमोदित प्रशुल्क/प्रशुल्क अनुसूची के साथ दर्शाएगा तथा ऐसे प्रशुल्क या प्रशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, वाली पुस्तिका को बिक्री हेतु उपलब्ध कराएगा जिसे कोई व्यक्ति उचित प्रभार देकर ले सकता हो।
- 13.4 इस प्रकार प्रकाशित प्रशुल्क उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से लागू होगा और जब तक इसमें संशोधन या सुधार न किया जाए, यह ऐसी अवधि, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट की गई हो, तक लागू रहेगा।

#### 14. प्रशुल्क आदेश का अनुपालन

- 14.1 यदि कोई वितरण लाइसेंसधारी आयोग द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क से अधिक मूल्य या प्रभार वसूल करता है तो इन विनियमों के अनुसार अतिरिक्त राशि उस व्यक्ति को देय होगी जिसने ऐसे मूल्य या प्रभार का भुगतान किया है जिसमें किसी अन्य देनदारी जो ऐसे वितरण लाइसेंसधारी द्वारा खर्च की गई हो, के पूर्वाग्रह के बिना भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर के बराबर ब्याज शामिल होगा।
- 14.2 वितरण लाइसेंसधारी आयोग द्वारा अपेक्षित अनुसार आवधिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रचालन और लागत आंकड़े शामिल होंगे ताकि आयोग अपने आदेश के कार्यान्वयन की निगरानी कर सके।

#### भाग-IV

#### बिक्री. बिजली खरीद मात्रा और लागत

## 15. मीटर के जरिए बिक्री पूर्वानुमान

#### 15.1 पूर्वानुमान पद्धति

मीटर के जरिए बिक्री को अनियंत्रित मापदण्ड के रूप में माना जाता है:—

बशर्ते कि खुला उपयोग लेनदेन बिक्री का हिस्सा न हो:

बशर्ते आगे यह कि बिक्री पूर्वानुमान उपभोक्ता श्रेणियों के प्रत्येक स्लैब में पिछले रुझानों पर आधारित होना चाहिए। लेखा-परीक्षित लेखा पुस्तिका के अनुसार उपभोक्ता श्रेणी के प्रत्येक स्तर के अंदर पिछली बिक्री के 2 से 3 वर्ष की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) का प्रयोग अल्प और मध्यम (5 वर्ष) समयाविध का पूर्वानुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— उदाहरण के लिए 2015-16 की एआरआर भरते समय उपभोक्ता श्रेणी द्वारा वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 से संबंधित स्लैब का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि पिछले वर्ष (2013-14) के खातों की लेखा-परीक्षा अभी होनी हो तो वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 से संबंधित बिक्री आंकड़ों को लिया जाना चाहिए और वितरण लाइसेंसधारी को प्रक्रिया में शीघ्रता लानी चाहिए ताकि तत्काल पूर्व तीन वर्ष के लेखा-परीक्षित बिक्री आंकड़े अगले वर्ष के बाद से एआरआर भरने के दौरान उपलब्ध हो सकें।

बशर्ते यह भी कि निम्नलिखित घटनाओं के मामले में पूर्वानुमानित मीटर के जरिए बिक्री का विवेकपूर्ण समायोजन किया जाना चाहिए:-

- (क) िकसी दिए गए क्षेत्र में मिश्रित उपभोक्ता में असामान्य अंतर होना (प्रस्तावित नगर योजना, कर अवकाश, औद्योगिक स्थापनाओं के लिए सरकारी प्रोत्साहन, खुले उपयोग के कारण उपभोक्ताओं का पलायन, आदि)।
- (ख) आर्थिक चक्र में महत्वपूर्ण बदलाव बिंदु (उछाल, मंदी, गिरावट या विस्तार)।
- (ग) मौसम परिस्थितियों में अंतर।
- (घ) विनिमय 16.2 के अनुसार लेखा-परीक्षा जांच के दौरान वास्तविक महत्वपूर्ण निष्कर्ष।

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों जहां प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी के लिए स्लैब-वार बिक्री लेखा-परीक्षित खातों में उपलब्ध न हो, तथा केवल समेकित बिक्री उपलब्ध हो, तो वितरण लाइसेंसधारी अगले वर्ष के बाद से अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक में स्लैब-वार बिक्री शामिल करेगा:

बशर्ते यह भी कि यदि लेखा-परीक्षित खाते उपलब्ध न हों तो वितरण लाइसेंसधारी इन प्रशुल्क विनियमों के लागू होने के एक वर्ष के अंदर खातों को लेखा-परीक्षित कराएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ता श्रेणी द्वारा लेखा-परीक्षित बिक्री आंकड़े स्लैब आधार पर अगले वर्ष के बाद से बिक्री अनुमान के लिए पिछले तीन वर्षों के लिए उपलब्ध हों।

## 15.2 पुनरुद्धार प्रक्रिया

- (क) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा एक दल बनाया जाएगा, जो वितरण लाइसेंसधारी के प्रचालनों के क्षेत्र में मीटरों की स्थिति, मीटर वाले उपभोक्ताओं के लोड तथा उपभोक्ताओं की श्रेणी वर्गीकरण की स्थिति को प्रामाणिक बनाएगा।
- (ख) पुनरुद्धार प्रक्रिया पूरे वर्ष चलने वाला एक आकलन अध्ययन होगा जिसे इन विनियमों की अधिसूचना के बाद पहले वर्ष, मासिक आधार पर आयोजित किया जाएगा।
- (ग) पुनरुद्धार प्रक्रिया के लिए, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ताओं से सेवा प्रदान किए जा रहे सर्किल से मासिक पुनरुद्धार करने के लिए नमूने लिए जाएंगे। बशर्ते कि लाइसेंसधारी द्वारा सेवा प्रदान किए जा रहे क्षेत्र से इस प्रकार चुनकर लिए गए नमूने भौगोलिक, जनसांख्यिकीय, औद्योगिक/वाणिज्यक/आवासीय/कृषि विस्तार आधार पर होंगे।
- (घ) यदि मीटर वाले उपभोक्ताओं की संख्या में अनियमितताएं पाई जाती हैं तो मीटर की स्थिति, उपभोक्ता के परिसरों या उपभोक्ताओं की वर्गीकरण श्रेणी में लोड को ऐतिहासिक (2-3 वर्ष) लेखा-परीक्षित बिक्री के सीएजीआर आधार पर विनियम 16.1 में लगाए गए पूर्वानुमान को तदनुसार विनियम 16.1 में विनिर्दिष्ट अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।

## 16. बिना मीटर वाली बिक्री का पूर्वानुमान

## बिना मीटर वाली बिक्री के निर्धारण के लिए पद्धति

- 16.1 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 55 में यह निर्धारित है कि कोई लाइसेंसधारी प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में बनाए गए विनियमों के अनुसार स्थापित सही मीटरों को छोड़कर नियत तारीख से 2 वर्ष के समाप्त होने के बाद बिजली की आपूर्ति नहीं करेगा।
- 16.2 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए ने (मीटरों की स्थापना और प्रचालन), विनियम 2006 जारी किया है। तथापि, जेईआरसी के क्षेत्राधिकार में कुछ उपयोगिताओं में 100% मीटर अभी लगाए जाने हैं। 100% मीटर लगाए जाने तक, बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की ऊर्जा बिक्री पर मानकीय आधार पर विचार किया जाएगा और यह एक नियंत्रणयोग्य मापदण्ड होगा।
- 16.3 लाइसेंसधारी 100% मीटर लगाने की कार्रवाई को शीघ्र पूरा करने का प्रयास करेगा और इसकी समय-सीमा आयोग को प्रस्तुत करेगा।

## 17. वितरण हानि में सुधार

वितरण हानि पर नियंत्रणयोग्य मापदण्ड के रूप में विचार किया जाएगा। इन विनियमों के विनियम 15 और 16 के अनुसार मीटर और बिना मीटर वाली बिक्री के आकलन के आधार पर आयोग वितरण हानि का आधार तैयार करेगा।

## 18. विद्युत क्रय मात्रा और लागत

- 18.1 बिक्री पूर्वानुमान के आधार पर विद्युत क्रय मात्रा और लागत की गणना की जाएगी।
- 18.2 अनुमोदित विद्युत क्रय लागत कम खपत वाली अवधि के दौरान अधिशेष बिजली, यदि कोई हो, से अनुमानित राजस्व का निवल होगी।
- 18.3 अधिशेष बिजली की बिक्री से राजस्व का अनुमान पिछले वर्ष की इसी तिमाही के लिए टू-अप की शर्त पर द्विपक्षीय खरीद और विद्युत विनिमय दरों के भारित औसत मूल्य पर होगा।
- 18.4 यदि वितरण लाइसेंसधारी को आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार मात्रा के अतिरिक्त बिजली की अल्पाविध आवश्यकता हो और ऐसी आवश्यकता लाइसेंसधारी के नियंत्रण से परे किसी कारक की वजह से हो (ईंधन का भण्डारण/अनुपलब्धता, योजना में निर्धारित स्रोतों में हाइड्रो संसाधन आधारित विद्युत उत्पादन की स्नो कैपिंग, विद्युत उत्पादन इकाइयों का अनियोजित/बलात अनुपयोग, ईश्वरीय कृत्य), तो लागत आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना ग्राहकों को सीधे दी जाएगी:

बशर्ते कि अतिरिक्त बिजली की लागत की अनुमित विद्युत विनिमय दर खरीद पर दी जाएगी।

बशर्ते आगे यह कि ऐसे मामले में वितरण लाइसेंसधारी सभी सहायक दस्तावेजों सिहत अनुमोदित मात्रा के अतिरिक्त बिजली की खरीद के बारे में आयोग को सूचित करेगा। जब तक कि आयोग इस बात से संतुष्ट न हो कि अतिरिक्त बिजली को बिजली विनिमय दरों के भारित औसत मूल्य तथा उसी तिमाही की द्विपक्षीय बाजार खरीद द्वारा सीमित किया किया गया हो, तो वह मात्रा और ट्रुअप आर्डर में इस अल्पाविध विद्युत खरीद की लागत देने से मना कर सकता है।

## 19. उपरोक्त विद्युत खरीद लागत में सुधार

वितरण लाइसेंसधारी प्रशुल्क (प्रथम संशोधन) विनियम, 2009 के निर्धारण हेतु जेईआरसी की निबंधन एवं शर्तों में उपलब्ध एफपीपीसीए फार्मूला के अनुसार ईंधन और विद्युत खरीद समायोजन के कारण वृद्धिशील लागत वसूल करेगा।

#### भाग-V

#### वित्तीय सिद्धांत

## 20. एआरआर के निर्धारण हेतु सिद्धांत

- 20.1 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वितरण लाइसेंसधारी के वितरण कार्य हेतु कुल राजस्व आवश्यकता में निम्नलिखित वित्तीय मापदण्ड शामिल होंगे:
  - (क) बिजली खरीद की लागत;
  - (ख) निजी उत्पादन की ईंधन लागत, यदि लागू हो;
  - (ग) प्रचालन और रखरखाव व्यय;
  - (घ) पूंजीगत निवेश योजना;
  - (ड़) मूल्य ह्रास;
  - (च) अकस्मिकता रिजर्व;
  - (छ) ऋण पर ब्याज:
  - (ज) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;
  - (ञ) इक्विटी पर प्रतिलाभ;
  - (ट) आय कर;

- (ठ) अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान;
- (ड) अन्य व्यय:
- (ढ) गैर-प्रशुल्क आय; और
- (ण) अन्य व्यापार से आय।

## 20.2 आंकड़े तीन वर्ष के लिए दिए जाने चाहिए।

- (क) पिछले वर्ष के लेखा-परीक्षित आंकड़े; पिछले वर्ष की सूचना लेखा-परीक्षित लेखाओं पर आधारित होनी चाहिए; जिसके आभाव में तत्काल पूर्व वर्ष के लेखा-परीक्षित लेखाओं को पिछले वर्ष के गैर-लेखा-परीक्षित खातों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के अनुमानित आंकड़े पहली छमाही के वास्तविक आंकड़ों तथा वर्ष की दूसरी छमाही के अनुमानित आंकड़ों पर आधारित होने चाहिए। वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के अनुमानित आंकड़े समायोजन सहित पिछले वर्ष की दूसरी छमाही के वास्तविक लेखा-परीक्षित आंकड़ों पर आधारित होने चाहिए जो उनके बीच होने वाले ज्ञात और मापने योग्य परिवर्तनों को दर्शाते हैं। इन समायोजनों को विशेष रूप से प्रलेखित और औचित्यपूर्ण बनाया जाना चाहिए।
- (ग) आगामी वर्ष के पूर्वानुमानित आंकड़े समायोजन सिहत वर्तमान वर्ष के आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए जो उनके बीच होने वाले ज्ञात और मापने योग्य परिवर्तनों को दर्शाते हैं। ये समायोजन विशेष रूप से प्रलेखित और न्यायोचित होने चाहिए।
- 20.3 उपलब्ध कराई जाने वाली सुचना में निम्नलिखित भी शामिल किया जाना चाहिए:
  - (क) सभी लागू निबंधन एवं शर्तों पर वर्तमान प्रशुल्क दरों की स्थिति, तथा उस वर्ष में वर्तमान प्रशुल्क दरों पर अनुमानित बिक्री से प्राप्त संभावित पूरे वर्ष का राजस्व जिस वर्ष में नए प्रशुल्क को लागू किया जाना है।
  - (ख) समान अवधि के दौरान प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी के लिए उपर्युक्त उपखण्ड (i) में दर्शाई गई मात्रा के द्वारा अपेक्षित सेवा उपलब्ध कराने की अनुमानित लागत की गणना दर्शाने वाला विवरण।
  - (ग) प्रस्तावित प्रशुल्क दर, मूल्य और प्रभार का विवरण, जिसमें उपर्युक्त (i) में उल्लिखित शर्तों की तुलना में सभी लागू निबंधन एवं शर्तों का पूरा विवरण शामिल हो। इस विवरण को प्रस्तावित प्रशुल्क ढांचे को उपयुक्त रूप से दर्शाया जाना चाहिए। नए प्रशुल्क विकल्पों को दिए जाने वाले वांछित प्रचार का ब्यौरा भी दिया जाना चाहिए कि उन्हें कब कार्यान्वित किया जाएगा।
  - (घ) प्रस्तावित प्रशुल्क के संभावित पूरे वर्ष के राजस्व का एक विवरण दिया जाना चाहिए, जिस वर्ष में प्रशुल्क लागू किया जाना हो।
  - (ड.) यदि प्रस्तावित प्रशुल्क को वित्तीय वर्ष के शुरू होने के बाद लागू किया जाना है तो संभावित राजस्व के अनुपात तथा वित्तीय वर्ष के शेष महीनों के दौरान प्रत्येक प्रस्तावित दर के अंतर्गत आपूर्ति की गई मात्रा का एक विवरण शामिल किया जाना चाहिए।
  - (च) वार्षिक संभावित राजस्व में अनुमानित परिवर्तन का विवरण जिसके कारण वर्ष में प्रस्तावित प्रशुल्क प्रभारों से उत्पन्न हो और जिसके दौरान उन्हें 'रुपए' और 'प्रतिशत' शब्दों के अनुसार लागू किया जाना हो।
  - (छ) समय सिहत व्यवसाय के सृजन की सीमांत लागत का अध्ययन वोल्टेज स्तर (जहां लागू हो) द्वारा विभेदक (समय उपयोग) अल्पावधि सीमांत लागत तथा सीमांत लागत की गणना करने के लिए प्रशुल्क पद्धित का लिखित स्पष्टीकरण। इसके अलावा, विवरण में वर्तमान और प्रस्तावित प्रशुल्क द्वारा वसूली गई सीमांत लागत के प्रतिशत की तुलना भी दी जानी चाहिए।
  - (ज) प्रशुल्क और अन्य प्रभारों में प्रस्तावित परिवर्तनों के औचित्य का लिखित स्पष्टीकरण तथा इक्विटी पर प्रतिलाभ के औचित्य के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

- (झ) राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त किसी राजसहायता/राहत की गणना, देयता या मानी गई देयता की गणना का पुरा ब्योरा विवरण में दिया जाना चाहिए।
- (অ) किसी प्रस्तावित नए प्रशुल्क की प्रशुल्क दरों की गणना द्वारा समर्थित लिखित स्पष्टीकरण।
- (ट) अन्य कोई सूचना, जिसे आयोग द्वारा समय-समय पर देने का निदेश दिया जाए।
- 20.4 उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी की कुल राजस्व आवश्यकता को उपर्युक्त खण्ड (1) के अंतर्गत गणना की गई राजस्व आवश्यकता में निम्नलिखित का समायोजन करके निकाला जाना चाहिए:
  - (क) विनियम 8 अर्थात् "निष्पादन और ट्रुअप की वार्षिक समीक्षा" के अंतर्गत आवश्यक समायोजन।
  - (ख) खुला उपयोग उपभोक्ताओं से अधिभार या अतिरिक्त अधिभार से प्राप्त आय, यदि कोई हो;
  - (ग) खुला उपयोग उपभोक्ताओं, यदि कोई हो, से प्राप्त पारेषण और/या व्हीलिंग प्रभार, यदि कोई हो;

आयोग द्वारा जारी अन्य व्यवसाय विनियमों के प्रावधानों के अनुसार परिसंपत्तियां, यदि कोई हों, के अधिकतम उपयोग के लिए लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त अन्य व्यवसाय से आय/राजस्व का अधिकृत भाग।

#### 21. प्रचालन और रखरखाव व्यय

- (क) आयोग ओएण्डएम व्यय अर्थात् कर्मचारी लागत, आरएण्डएम व्यय और एएण्डजी व्यय के प्रत्येक घटक के लिए मानदण्डों का पृथक मार्ग निर्धारित करेगा।
  - बशर्ते कि ऐसे मानदण्डों को विशिष्ट वितरण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी के वर्ग हेतु विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (ख) मानदण्ड प्रति 1000 उपभोक्ताओं पर कार्मिकों की संख्या और प्रति सबस्टेशन कार्मिकों की संख्या तथा कर्मचारी व्यय हेतु प्रति कार्मिक वार्षिक व्यय को जोड़कर बनाए जाने चाहिए; प्रति कार्मिक एएण्डजी व्यय तथा एएण्डजी व्यय के लिए प्रति 1000 उपभोक्ताओं व्यय हेतु प्रति कार्मिक वार्षिक व्यय का योग तथा आरएण्डएम व्यय के अनुमान हेतु सकल नियत परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में आरएण्डएम व्यय;
- (ग) एक-बारगी व्यय जैसे लेखांकन नीति में परिवर्तन, वेतन आयोग के कारण देय बकाया राशि आदि में परिवर्तन के कारण व्यय को मार्ग में मानदण्डों से हटाया जाना चाहिए।
- (घ) वितरण लाइसेंसधारी के नियंत्रण से परे व्यय जैसे महंगाई भत्ता, कर्मचारी लागत में सेवा निवृत्ति लाभ को मार्ग में मानदण्डों से हटाया जाना चाहिए।
- (ङ.) एक-बारगी व्यय तथा वितरण लाइसेंसधारी के नियंत्रण से परे व्यय को आयोग द्वारा विवेकपूर्वक जांच के बाद मानकीय प्रचालन और रखरखाव व्यय के अलावा अनुमति दी जानी चाहिए।
- (च) मार्ग में मानदण्डों को उत्पादकता सुधार हेतु उचित विचार-विमर्श करने के बाद नियंत्रण अवधि के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
- (छ) मानदण्डों को आधार वर्ष के सतत मूल्यों पर निर्धारित किया जाएगा और मुद्रास्फीति के कारण वृद्धि बेसलाइन के अतिरिक्त होगी।
- (ज) मानदण्डों के वितरण लाइसेंसधारी विशिष्ट मार्ग का आयोग द्वारा पूर्ण और अपेक्षित विश्लेषण के आधार पर पता लगाया जाना चाहिए।
- (झ) पूर्ण विश्लेषण में, आयोग द्वारा वितरण लाइसेंसधारी के पिछले तीन वर्षों के प्रचालनों के लेखा-परीक्षित लेखा, नियंत्रण अविध के लिए किया गया व्यय दावा, ऐतिहासिक रूप से अनुमोदित लागत, तथा विवेकपूर्ण जांच का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मानदण्डों के मूल्यों का अनुमान लगाया जा सके।
- (ञ) सापेक्ष विश्लेषण में अन्य वितरण लाइसेंसधारियों के निष्पादन मापदण्डों पर आयोग द्वारा मानदण्डों का अनुमान लगाने के लिए विचार किया जाना चाहिए :

बशर्ते कि इस प्रकार चयनित अन्य विवरण लाइसेंसधारियों की रूपरेखा मिश्रित उपभोक्ता, लाइसेंस क्षेत्र (नगर, राज्य आदि) के प्रकार, वितरण नेटवर्क के प्रकार अर्थात् भूमिगत/ओवरहैड, एचटी-एलटी अनुपात, आदि के अनुसार हो।

(ट) आयोग द्वारा पूर्ण और सापेक्ष विश्लेषण के निष्कर्ष के उपयुक्त औसत को लिया जाना चाहिए ताकि वितरण लाइसेंसधारी के लिए नियंत्रण अवधि की तुलना में मानदण्ड निर्धारित हो सके।

#### 21.1 कर्मचारी लागत

कर्मचारी लागत की गणना खुदरा मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा बढ़े अनुमोदित मानदण्ड के अनुसार की जाएगी, जिसे वितरण लाइसेंसधारी के नियंत्रण से परे व्यय संबंधी प्रावधानों द्वारा समायोजित किया जाएगा, तथा एक-बारगी संभावित व्यय जैसे टर्मिनल लाभ की वसूली/समायोजन, वेतन आयोग का प्रभाव, बकाया राशि और अंतरिम राहत निम्नलिखित सूत्र द्वारा अधिशासित होगी:

ईएमपीएन = (ईएमपी ਗ \* डब्ल्यूपीआई मुद्रा स्फीति) + प्रावधान

जहां,

ईएमपी<sub>एन</sub>: वर्ष एन के लिए कर्मचारी व्यय।

ईएमपीबी: कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृति, बोनस, पदोन्नति, वीआरएस सहित।

मादण्ड के अनुसार कर्मचारी व्यय।

डब्ल्यूपीआई मुद्रा स्फीति: तत्काल पिछले तीन वर्षों के लिए थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में औसत वृद्धि है।

प्रावधान: उपभोक्ता आधार के विस्तार के कारण लाइसेंसधारी द्वारा आवश्यकता अनुसार व्यय, कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि और ऊपर विनिर्दिष्ट अनुसार एक-बारगी कोई संभावित व्यय।

## 21.2 मरम्मत और रखरखाव व्यय

मरम्मत और रखरखाव (आर एण्ड एम) व्यय की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा अधिशासित वर्ष के लिए खुली सकल नियत परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में (परिभाषित मानदण्ड के अनुसार) की जाएगी:

आर एण्ड एम $_{vr}$  = केबी \* जीएफए $_{vr}$  \* मुद्रास्फीति सूचकांक

जहां,

आरएण्डएम $_{v_{7}}$ : एन वर्ष के लिए मरम्मत एवं रखरखाव व्यय जीएफए $_{v_{7}}$ : एन वर्ष के लिए खुली सकल नियत परिसंपत्तियां

के<sub>बी</sub> : मानदण्ड के अनुसार प्रतिशत बिंद्

जीएफए : वित्तीय वर्ष के शुरू में सकल नियत परिसंपत्तियां

मुद्रास्फीति सूचकांक सीपीआई: डब्ल्यूपीआई: 60 : 40 है।

सीपीआई भारत सरकार द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है तथा ये सूचकांक तत्काल पिछले तीन वर्षों के लिए है।

डब्ल्यूपीआई भारत सरकार द्वारा जारी थोक बिक्री मूल्य सूचकांक है और ये सूचकांक तत्काल पिछले तीन वर्षों के लिए है।

#### 21.3 प्रशासनिक और सामान्य व्यय

ए एण्ड जी व्यय की गणना थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा बढ़े मानदण्ड के अनुसार की जाएगी और इसे नियोजित पहलों के प्रविधानों (आईटी आदि पहलें जैसािक वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तावित और आयोग द्वारा मान्य अनुसार हो) या अन्य संभावित एक-बारगी व्यय द्वारा समायोजित किया जाएगा, और ये निम्नलिखित सूत्र द्वारा अधिशासित होंगी:

ए एण्ड जी $_{\mathbb{Q}^{+}}$  = (एएंडजी $_{\mathbb{R}}$  \* डब्ल्यूपीआई मुद्रा स्फीति) + प्रावधान

जहां:

ए एंड जी<sub>एन</sub> : एन एएंडजी<sub>बी</sub> वर्ष के लिए ए एण्ड जी व्यय:

ए एंड जी व्यय मानदण्ड के अनुसार

डब्ल्यूपीआई मुद्रा स्फीति: पिछले तत्काल तीन वर्षों के लिए थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में औसत वृद्धि है।

प्रावधान: वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तावित पहल की लागत या अन्य एक-बारगी व्यय अनुसार तथा आयोग द्वारा मान्य।

## 22. पूंजीगत निवेश योजना

- (क) पूंजी व्यय पर योजना-वार आधार पर विचार किया जाएगा।
- (ख) 10 करोड़ रुपए (दस करोड़ रुपए) से अधिक पूंजीगत व्यय के लिए वितरण लाइसेंसधारी आयोग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- (ग) वितरण लाइसेंसधारी आयोग से अनुमोदन प्राप्त करते समय विस्तृत सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा: बशर्ते कि सहायक दस्तावेजों में अनिवार्यता और निवेश का प्रयोग पूंजीगत ढांचा, पूंजीकरण अनुसूची, वित्त-पोषण योजना और लागत-लाभ विश्लेषण शामिल होगा जो इस तक ही सीमित नहीं होगा।
- (घ) आगामी वर्ष के लिए आयोग द्वारा पूंजीगत व्यय का अनुमोदन वितरण लाइसेंसधारी के सहायक दस्तावेजों में प्रस्तावित लोड वृद्धि, विवरण विस्तार, ग्रामीण विद्युतीकरण, वितरण हानि कमी या गुणवत्ता सुधार के अनुसार होगा।
- (इ.) आयोग आगामी वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय को अनुमोदित करते समय पिछले प्रशुल्क आदेश में अनुमोदित कार्यों की तुलना में वास्तविक कार्य की विस्तृत समीक्षा भी कर सकता है।
- (च) यदि आपात कार्य के लिए पूंजीगत व्यय की आवश्यकता हो तो लाइसेंसधारी एक आवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें आयोग द्वारा कार्योत्तर उपरांत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्य की तत्काल प्रकृति को उचित दर्शाने वाले कारणों सहित सभी संगत सूचना शामिल होगी।
- (छ) वितरण लाइसेंसधारी आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व कार्य शुरू करेगा बशर्ते कि योजना की तत्कालिक प्रकृति को उसके सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
- (ज) यदि पूंजीगत व्यय 10 करोड़ रुपए (दस करोड़ रुपए) से कम है तो वितरण लाइसेंसधारी सभी संगत सहायक दस्तावेजों सहित, आयोग को समानान्तर अधिसूचना के साथ योजना के कार्यान्वित को प्रारंभ करेगा।
- (झ) ट्र-अप प्रक्रिया के दौरान आयोग इन विनियमों में उलेखानुसार उपयुक्त कार्रवाई करेगा।
- (ञ) पूंजीगत परिसंपत्ति के लिए उपभोक्ता के अंशदान को पूंजीगत प्राप्ति के रूप में माना जाएगा और उसे परिसंपत्तियों पर अलग खाते में अंतरित होने तक की वर्तमान देनदारियों में जोड़ा जाएगा।
- (ट) वर्ष के लिए ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास प्रभार के बराबर राशि को इस खाते से परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की तुलना में लाभ एवं हानि लेखा की आय के रूप में लिया जाएगा।

## 23. मूल्य ह्वास

- (क) मूल्य ह्रास की गणना संबंधित वर्ष की नियत परिसंपत्तियों की मूल लागत पर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए की जाएगी।
- (ख) पूंजीगत राजसहायता, उपभोक्ता अंशदान या अनुदानों द्वारा वित्त-पोषित परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (ग) मूल्य ह्रास की गणना मूल्य-ह्रास की दर पर परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की तुलना में सीधी लाइन पद्धित के अनुसार की जाएगी। इसे केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 में विनिर्दिष्ट अनुसार किया जाएगा (यह समय-समय पर सीईआरसी द्वारा अधिसूचित अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है)।
- (घ) परिसंपत्तियों के अवशेष मूल्य पर 10% के रूप में विचार किया जाएगा और मूल्य ह्रास की परिसंपत्ति की मूल लागत के अधिकतम 90% तक के लिए अनुमित दी जाएगी। बशर्ते कि भूमि को मूल्य ह्रास परिसंपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा और इसकी लागत को परिसंपत्ति की
- (च) मूल्य ह्रास को परिसंपत्ति के प्रचालन के पहले वर्ष से लिया जाएगा। बशर्ते कि यदि परिसंपत्ति प्रचालन वर्ष के भाग के लिए हो तो मूल्य-ह्रास को आनुपातिक आधार पर लिया जाएगा।
- (छ) पूंजीगत निवेश योजना में परिसंपत्तियों के बदलने का प्रावधान किया जाएगा।

मूल लागत के 90% की गणना करते समय हटा दिया जाएगा।

#### 24. ऋण पर ब्याज

- (क) वितरण लाइसेंसधारी सभी लंबित ऋणों का विस्तृत ऋण-वार, परियोजना-वार और उपयोग-वार ब्योरा उपलब्ध कराएगा।
- (ख) यदि वास्तविक रूप से निवेश की गई इक्विटी पूंजी लागत के 30% से अधिक है तो 30% से अधिक इक्विटी को मानकीय ऋण माना जाएगा।
  - बशर्ते कि जहां निवेश की गई वास्तविक इक्विटी, पूंजीगत लागत के 30% से कम है, वहां वास्तविक ऋण को ऋण पर ब्याज के निर्धारण हेतु विचार किया जाएगा।
- (ग) वास्तविक ऋण या सकारात्मक ऋण, यदि कोई हो, को इस विनियम में सकल मानकीय ऋण के रूप में संदर्भित किया जाएगा।
- (घ) नियंत्रण अविध के 1 अप्रैल को बकाया मानकीय ऋण की गणना सकल मानकीय ऋण से वर्तमान अविध (नियंत्रण अविध से पूर्व एक वर्ष) के 31 मार्च तक (नीचे दर्शाए गए आधार पर) आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार संचयी अदायगी की कटौती करके की जाएगी।
- (ड़) नियंत्रण अवधि की चुकौती वर्ष के लिए अनुमेय मूल्य ह्रास के बराबर मानी जाएगी।
- (च) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा ली गई किसी स्थगन अवधि के बावजूद ऋण की अदायगी पर अनुमेय वार्षिक मृत्य ह्वास के अनुसार नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष से विचार किया जाएगा।
- (छ) ब्याज की दर संगत ऋण करार या बंधपत्र या गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर से निबंधन एवं शर्तों के अनुसार नियंत्रण अविध के प्रत्येक वर्ष के शुरू में वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर गणना की ब्याज की भारित औसत दर होगी:

बशर्ते कि यदि कोई वास्तविक ऋण बकाया न हो लेकिन मानकीय ऋण अभी भी बकाया हो तो अंतिम उपलब्ध ब्याज की भारित औसत दर लागू होगी:

बशर्ते आगे यह कि ऋण पर ब्याज की गणना ब्याज की भारित औसत दर को लागू करके वर्ष के मानकीय औसत ऋण पर की जाएगी:

बशर्ते आगे यह भी कि मौजूदा ऋण के लिए अपवाद बनाए जाएंगे जिनमें पहले से कार्यान्वित करारों के अनुसार विभिन्न शब्द होने चाहिए, यदि आयोग इस बात से संतुष्ट हो कि ऋण के लिए संविदा की गई है और उसे पहचान योग्य और अनुमोदित परियोजनाओं पर लागू किया गया है।

(ज) वितरण लाइसेंसधारी ऋण का पुन: वित्तपोषण करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा जब तक कि इससे उपभोक्ताओं को निवल लाभ मिलता रहे:

बशर्ते कि ऐसे पुन: वित्तपोषण से संबद्ध लागत को प्रशुल्क में जोड़ा जा सकेगा तथा ऋण के पुन: वित्तपोषण तथा ऋण पर ब्याज के कारण लाभ को वितरण लाइसेंसधारी और उपभोक्ताओं के बीच 50:80 के अनुपात में बांटा जाएगा:

बशर्ते आगे यह भी कि वितरण लाइसेंसधारी ऐसे लाभ की गणना को आयोग को उसके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(झ) वितरण लाइसेंसधारी आयोग को सूचना और आंकड़े नियमित रूप से उपलब्ध कराकर एपीडीआरपी जैसी योजनाओं के अंतर्गत अनुदानों में परिवर्तित ऋणों की ट्रैकिंग को सक्षम बनाएगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि इन ऋणों पर ब्याज, जिन्हें पिछले वर्षों में अनुचित ढंग से उपभोक्ताओं को दिया गया हो, को वितरण लाइसेंसधारी से वसुला जाएगा।

## 25. कार्यशील पूंजी पर ब्याज

लाइसेंसधारी की खुदरा आपूर्ति कार्यकलाप की कार्यशील पूंजी में निम्नलिखित शामिल होगा:

- (i) दो महीने के बिल में प्राप्य।
- (ii) एक माह की विद्युत क्रय लागत को घटाना।
- (iii) उपभोक्ता सुरक्षा जमा राशि को घटाना जिसमें बैंक गारंटी/सावधि जमा रसीद न शामिल हों।
- (iv) पिछले वर्ष की वार्षिक आवश्यकता पर आधारित दो माह की मांग सूची।

कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दर संगत वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर के बराबर होगी। कार्यशील पूंजी पर ब्याज मानकीय आधार पर देय होगा जो इस बात के बावजूद होगा कि लाइसेंसधारी ने बाहरी एजेंसी से कार्यशील पूंजी ऋण नहीं लिया है या मानकीय आंकड़ों पर निकाले गए कार्यशील पूंजी ऋण को बढ़ा दिया है।

#### 26. आकस्मिक रिजर्व में अंशदान

- (क) यदि वितरण लाइसेंसधारी ने आकस्मिकता रिजर्व में विनियोग किया है, जो 0.25 प्रतिशत से कम तथा नियत परिसंपत्तियों की मूल लागत के 0.5 प्रतिशत से अधिक की राशि न हो, तो एआरआर की गणना में ऐसे विनियोग की वार्षिक रूप से अनुमति दी जाएगी।
- (ख) वित्तीय वर्ष के अंतिम छ: माह की अवधि में भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत प्राधिकृत प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा:
  - बशर्ते कि आकस्मिकता रिजर्व के मूल्य में कोई कमी नहीं की जाएगी जिसे प्रशुल्क के भाग के रूप में समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी।
- (ग) आकस्मिक रिजर्व को लाइसेंस की शर्त के दौरान नहीं लिया जाएगा ताकि आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार ऐसे प्रभारों को निम्नानुसार पुरा किया जा सके;
  - (i) दुर्घटनाओं, हड़तालों या परिस्थितियां जिन्हें प्रबंधन नहीं रोक नहीं सका, से उत्पन्न व्यय या लाभ की हानि;
  - (ii) सामान्य रखरखाव या ऋण के लिए अपेक्षित व्यय के अलावा संयंत्र के प्रतिस्थापन या संयंत्र को हटाने पर व्यय;
  - (iii) किसी कानून में वर्तमान में देय मुआवजा तथा जिसके लिए अन्य कोई प्रावधान न किया गया हो। बशर्ते कि आकस्मिक रिजर्व से ऐसी निकासी की गणना अन्य किसी मुआवजे का समायोजन करने के बाद की जाएगी जिसे बीमा कर के भाग के रूप में लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

#### 27. इक्विटी पर प्रतिलाभ

- (क) इक्विटी पर प्रतिलाभ की गणना पूंजी आधार या वास्तविक इक्विटी, जो भी कम हो, के 30% पर की जाएगी:
  - बशर्ते कि उपभोक्ता अंशदान द्वारा वित्तपोषित परिसंपत्तियां पूंजीगत राजसहायता/अनुदान और संबंधित मूल्य द्वारा पूंजीगत आधार का भाग नहीं बनना चाहिए। बही मूल्य के रूप में वितरण लाइसेंसधारी में व्याप्त वास्तविक इक्विटी पर यथार्थ के रूप में विचार किया जाएगा और इसका विनिमय में गणना हेतु उपयोग किया जाएगा।
- (ख) कार्यशील पूंजी में निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ के लिए वाणिज्यिक प्रचालन के प्रारंभ होने की तारीख से अनुमति दी जाएगी।
- (ग) इक्विटी पर 16% कर-उपरांत प्रतिलाभ पर विचार किया जाएगा, भले ही वितरण लाइसेंसधारी ने एआरआर याचिका में इक्विटी पर प्रतिलाभ का दावा किया हो।

#### 28. आयकर

- (क) वितरण लाइसेंसधारी के लाइसेंस व्यवसाय पर आयकर, यदि कोई हो, को व्यय के रूप में माना जाएगा तथा उसे प्रशुल्क के जरिए उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। तथापि, इसके लाइसेंस व्यवसाय के जरिए अन्य किया आय पर कोई कर नहीं दिया जाएगा, और यह वितरण लाइसेंसधारी द्वारा स्वयं दिया जाएगा।
- (ख) वास्तविक रूप में देय या भुगतान किए गए आयकर को एआरआर में शामिल किया जाएगा। आयकर का वास्तविक आकलन कर अवकाश के लाभ को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार लागू अग्रेनीत हानि का क्रेडिट उपभोक्ताओं पर डाला जाना चाहिए।
- (ग) आय पर कर, यदि कोई हो, का भुगतान पूंजीगत निवेश इक्विटी घटक पर प्रतिलाभ पर कर तक ही सीमित होना चाहिए। तथापि, उन्नत निष्पादन के कारण प्रोत्साहनों पर किसी कर देनदारी पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

#### 29. गैर-प्रश्लक आय

- (क) विद्युत व्यवसाय से संबंधित सभी आय, जिसे लाइसेंसधारी द्वारा स्रोतों से लिया गया हो, जिसमें परिसंपत्तियों के निपटान, किराया, विलंब से किया गया अधिभार भुगतान, मीटर किराया (यदि कोई हो), आकस्मिकता रिजर्व के अलावा निवेश से आय, उपभोक्ताओं से विविध प्राप्तियां तथा वितरण लाइसेंसधारी के अन्य व्यवसाय से लाइसेंस व्यवसाय तक आय में लाइसेंसधारी की गैर-प्रशुल्क आय शामिल होनी चाहिए।
- (ख) आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दर से अधिक सुरक्षा जमा राशि के ब्याज पर लाइसेंसधारियों की गैर-प्रशुल्क आय के रूप में विचार किया जाएगा।
- (ग) गैर-प्रशुल्क आय के कारण लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त राशि को ऐसे लाइसेंसधारी की निवल राजस्व आवश्यकता की गणना के दौरान कुल राजस्व आवश्यकता से कटौती की जाएगी।

#### 30. अन्य व्यवसाय से आय

जहां लाइसेंसधारी अन्य किसी व्यवसाय में लगा हो, तो ऐसे व्यवसाय से प्राप्त आय की आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार इस तरह से और अनुपात में लाइसेंसधारी के राजस्व आवश्यकता की गणना करते समय कटौती की जाएगी। बशर्ते कि लाइसेंसधारी वितरण व्यवसाय और अन्य व्यवसाय के बीच सभी संयुक्त और सामान्य लागत के आबंटन हेतु उपयुक्त आधार का अनुपालन करेगा तथा प्रशुल्क के निर्धारण के लिए अपने आवेदन सहित आयोग को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित अनुसार आबंटन विवरण प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते आगे यह कि जहां ऐसे अन्य व्यवसाय की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत का कुल योग का राजस्व ऐसे अन्य व्यवसाय से या अन्य किसी कारण से बढ़ जाता है तो ऐसे अन्य व्यवसाय के कारण किसी राशि को लाइसेंसधारी की कुल राजस्व आवश्यकता में जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

## 31. विनियमक परिसंपत्तियों में सुधार

- (क) विनियामक परिसंपत्तियों को व्यवसाय के सामान्य रूप में खर्च की गई लागत/हानि के विरुद्ध सृजित नहीं किया जाना चाहिए। बशर्ते कि ऐसे मामले में वित्त-पोषक व्यवस्था या पूंजीगत पुनर्गठन के अंतर को पूरा करने के लिए लागू किया जाना चाहिए।
- (ख) विनियामक परिसंत्ति से संबंधित परिशोधन अनुसूची तैयार की जानी चाहिए और उसे विनियमक परिसंपत्ति के मुजन सहित लागू किया जाना चाहिए।
- (ग) विनियमक परिसंपत्ति की वहन लागत स्टेट बैंक अग्रिम दर (एसबीएआर) के अनुसार उस अवधि के लिए होनी चाहिए जिसके लिए विनियामक परिसंपत्ति का सृजन किया गया है।
- (घ) वितरण लाइसेंसधारी के खाते के टूइंगअप में लम्बा अंतराल नहीं होना चाहिए ताकि विनियामक परिसंपत्ति के मुजन की आवश्यकता को रोका जा सके।

#### 32. अशोध्य और संदिग्ध ऋण

अशोध्य ओर संदिग्ध ऋण टू-अप में प्राप्य 1% तक सीमित होने चाहिए बशर्ते कि अशोध्य और संदिग्ध ऋण की राशि को लाइसेंसधारी के बही खाते में वास्तव में बट्टे खाते में डाल दिया जाए।

#### भाग-VI

## व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय

## 33. व्हीलिंग व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय का पृथक्करण

वितरण लाइसेंसधारी ऐसी अविध के लिए व्हीलिंग व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए पृथक बही खाते रखेगा जब तक कि खातों को अलग-अलग न कर दिया जाए और लेखाओं की पृथक बही न रखी जाए, आयोग वितरण लाइसेंसधारियों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित सभी व्यय और प्रतिलाभ घटक के आबंटन के अनुपात पर निर्णय लेगा। निर्धारित कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता में से व्हीलिंग व्यवसाय और आपूर्ति व्यवसाय हेतु लागत का आबंटन करने के लिए निम्नलिखित व्यापक सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए:

- (क) विद्युत खरीद लागत आपूर्ति व्यवसाय को आबंटित की जाएगी;
- (ख) प्रचालन और रखरखाव व्यय को इस ढंग से व्हीलिंग और आपूर्ति व्यवसायों के बीच पृथक किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए;
- (ग) पूंजीगत व्यय से संबंधित अधिकांश व्यय अर्थात् मूल्य ह्रास, इक्विटी पर ब्याज और प्रतिलाभ को व्हीलिंग व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

**टिप्पणी -** आपूर्ति व्यवसाय के लिए बिलिंग और संग्रह गतिविधि हेतु केवल पूंजीगत व्यय के छोटे घटक की ही आवश्यकता होगी।

#### भाग-VII

#### प्रचालन के मानदण्ड

## 34. एआरआर की लक्षित उपलब्धता तथा वसूली

- (क) व्हीलिंग व्यवसाय और आपूर्ति व्यवसाय के उपलब्धता सूचकांक को लाइसेंसधारी द्वारा अलग-अलग रखा जाना चाहिए तथा इसकी सूचना आयोग को देनी चाहिए। वितरण लाइसेंसधारी नियोजित रखरखाव अनुपयोग अवधि, लोड शेडिंग, बलात अनुपयोग अवधि तथा ट्रिपिंग संबंधी आंकड़े रखेगा।
- (ख) प्रोत्साहन/निरुत्साहन में वे परिस्थितियां शामिल नहीं होंगी, जब वास्तविक आपूर्ति अप्रत्याशित स्थितियों, मौसम स्थितियों, मानसून न आने, स्टेशन अनुपयोग अविध आदि के कारण संविदागत आपूर्ति से भिन्न हों, जो वितरण लाइसेंसधारी के नियंत्रण से परे हों।
- (ग) आयोग नियंत्रण अवधि की तुलना में पिछले निष्पादन के आधार पर वितरण लाइसेंसधारी के वॉयर और आपूर्ति व्यवसाय हेतु उपलब्धता के मानकीय स्तरों में उत्तरोत्तर वृद्धि का उल्लेख करेगा।

बशर्ते कि आपूर्ति व्यवसाय की उपलब्धता 90% से कम न हो और यह तीन वर्षों के अंदर 95% या 98% तक धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी।

#### भाग-VIII

## राजसहायता, प्रति-राजसहायता और प्रशुल्क डिजाइन

## 35. राजसहायता

(क) आयोग राजसहायता पर विचार किए बिना एआरआर और प्रशुल्क का निर्धारण करेगा।

बशर्ते कि यदि राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन प्रशुल्क आदेश की अधिसूचना के बाद उपभोक्ताओं की श्रेणियों के लिए राजसहायता की घोषणा करता है तो लाइसेंसधारी इसकी सूचना आयोग को देगा।

बशर्ते आगे यह कि यदि राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन श्रेणियों में राजसहायता की घोषणा करता है या प्रशुल्क दायर करने की कार्यवाहियों के दौरान लाइसेंसधारी याचिका में राजसहायता को शामिल करता है तो आयोग दो प्रशुल्क अनुसूचियों को अधिसूचित करेगा जिसमें एक राजसहायता वाली और दूसरी बिना राजसहायता के होगी।

बशर्ते आगे यह भी कि उपलब्ध कराई गई या घोषित सरकारी राजसहायता के साथ भुगतान की समय-अनुसूची; राजसहायता के भुगतान की प्रणाली तथा राजसहायता प्राप्त उपभोक्ता श्रेणियों में राजसहायता राशि के वर्गीकरण संबंधी दस्तावेज साथ लगाए जाने चाहिए।

- (ख) आयोग प्रशुल्क आदेश में सरकार द्वारा की गई घोषणा; परिवर्तनशील लागत की श्रृंखला (%) सहित ईंधन लागत समायोजन पर लागू के अनुसार सरकार की राजसहायता की मात्रा को स्पष्ट करेगा जिसके लिए ईंधन समायोजन लागत वर्ग-वार वर्गीकरण, भुगतान प्रणाली और भुगतान अनुसूची आदि का भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा।
- (ग) सरकार से राजसहायता के प्राप्त न होने की स्थिति में लाइसेंसधारी प्रशुल्क अनुसूची के अनुसार उपभोक्ताओं से प्रभार लेगा जिसे आयोग द्वारा राजसहायता पर विचार किए बिना अनुमोदित किया जाएगा।

## 36. सर्विस और प्रशुल्क डिजाइन के लिए प्रति-राजसहायता, लागत का आबंटन

- (क) आयोग विद्युत अधिनियम, प्रशुल्क नीति तथा सरकार में विद्यमान ऐसे अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति राजसहायता को कम करेगा।
- (ख) वितरण लाइसेंसधारी नीचे विस्तारपूर्वक दी गई पद्धति के अनुसार आपूर्ति की उपभोक्ता श्रेणी-वार लागत की गणना करेगा।

(ग) **लागत आबंटन**: सेवा प्रदान करने की लागत उपभोक्ता श्रेणियों को निम्नलिखित रूप में आबंटित की जाएगी:

चरण 1: लागत का कार्यात्मक सीमांकन - कुल लागत को, किए गए कार्यों जैसे बिजली की खरीद, वितरण आदि के आधार पर विभाजित किया जाएगा।

चरण 2: लागत का वर्गीकरण - प्रत्येक कार्यात्मक लागत को मांग से संबंधित लागत, ऊर्जा संबंधित लागत और उपभोक्ता संबंधित लागत की अंतनिर्हित प्रकृति के आधार पर आगे वर्गीकृत किया जाएगा। मांग से संबंधित लागत समान्यतया नियत प्रकृति की होगी जो क्षमता सृजन से संबंधित होगी तथा इसमें पूंजीगत उधार, मूल्य हास आदि पर ब्याज शामिल होगा। ऊर्जा लागत उपभोक्ता की विद्युत खपत की मात्रा से संबंधित होगी जैसे ईंधन लागत, कार्यशील पूंजी पर ब्याज आदि। उपभोक्ता संबंधी लागत में मीटर रीडिंग, बिलिंग और लेखांकन से संबद्ध प्रचालन व्यय शामिल होगा।

#### चरण 3: लागत का आबंटन

- (i) मांग लागत का आबंटन:—सभी तीन कार्यों की मांग लागत को प्रशुल्क श्रेणियों की औसत अनुकूल शीर्ष मांग (पिछले 12 महीनों का औसत) के आधार पर उपभोक्ता श्रेणियों में आबंटित किया जाएगा। विभिन्न प्रशुल्क श्रेणियों की औसत अनुकूल शीर्ष मांग का निर्धारण करने के लिए लोड रिसर्च को डिस्कोम के प्रचालन का अभिन्न भाग बनाया जाएगा तथा व्यवस्थित लोड अनुसंधान प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
- (ii) ऊर्जा लागत का आबंटन:—वितरण कार्यों की ऊर्जा संबंधी लागत उपभोक्ता श्रेणियों को वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्राधिकार में कुल विद्युत खपत की तुलना में प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी की विद्युत खपत के अनुपात के आधार पर आबंटित की जाएगी। विद्युत खरीद की ऊर्जा संबंधी लागत विभिन्न प्रशुल्क श्रेणियों को मेरिट आर्डर डिस्पेच तथा वृद्धिशील सिद्धांत पर ब्लॉक दृष्टिकोण के आधार पर आबंटित की जाएगी। जहां प्रत्येक प्रशुल्क श्रेणी को वृद्धिशील विद्युत खरीद में उनमें संबंधित शेयर के आधार पर वृद्धिशील/ऊर्जा संबंधित विद्युत खरीद लागत आबंटित किया जाएगा। ब्लॉक दृष्टिकोण तथा वृद्धिशील सिद्धांत को प्रचालन बनाने के उद्देश्य से आयोग "आधार वर्ष" के रूप में एक उचित वर्ष का पता लगाकर उसे अधिसूचित करेगा।
- (iii) ग्राहक लागत का आबंटन:—ग्राहक संबंधी लागत वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्राधिकार में उपभोक्ताओं की कुल संख्या की तुलना मे प्रत्येक श्रेणी में उपभोक्ताओं की संख्या के अनुपात के आधार पर उपभोक्ता श्रेणियों को आबंटित की जाएगी।
- (घ) कार्यों में आबंटित मांग लागत, ऊर्जा लागत तथा उपभोक्ता लागत का प्रकार संबंधित उपभोक्ता श्रेणियों को सेवा प्रदान करने की कुल लागत होगी। उपभोक्ता श्रेणी में राजस्व द्वारा कम की गई सेवा की लागत संबंधित श्रेणी के लिए कुल राजसहायता प्रदान करेगी। सरकारी राजसहायता, यदि कोई हो, द्वारा उपभोक्ता श्रेणी के लिए कुल राजसहायता, संबंधित उपभोक्ता श्रेणी के लिए प्रति राजसहायता होगी।
- (ड.) गरीबी की रेखा से नीचे के उपभोक्ता, जो किसी विशिष्ट स्तर से कम बिजली की खपत करते है, उदाहरण के लिए 30 यूनिट प्रति माह, प्रति राजसहायता के जरिए विशेष सहायता प्राप्त करेंगे।

## (च) खुले उपयोग में प्रति-राजसहायता अधिभार और अतिरिक्त अधिभार

(i) आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार समय-समय पर अनुमोदित अनुसार लाइसेंसधारी प्रति-राजसहायता अधिभार और अतिरिक्त अधिभार के कारण प्राप्त या प्राप्त होने वाली राशि को उपभोक्ता श्रेणी के सामने अलग से दर्शाया जाएगा, जिसे चरण योजना के अनुसार खुले उपयोग की अनुमति दी जाती है। (ii) उपभोक्ता श्रेणियां, जिन्हें खुले उपयोग की अनुमित दी गई है, प्रित-राजसहायता अधिभार और अतिरिक्त अधिभार को प्रशुल्क से प्राप्त राजस्व के रूप में दर्शाया जाएगा और ऐसी राशि का इस्तेमाल राजसहायता प्राप्त श्रेणियों की प्रिति-राजसहायता आवश्यकता तथा आपूर्ति के लिए उसकी बाध्यता से उत्पन्न वितरण लाइसेंसधारी की नियत लागत को पूरा करने के लिए किया जाएगा:

बशर्ते कि लाइसेंसधारी अपनी वार्षिक विवरण में ऐसा ब्यौरा उपलब्ध कराएगा।

## (छ) प्रश्लक डिजाइन

- (i) आयोग इस उद्देश्य से निर्देशित होगा कि प्रशुल्क धीरे-धीरे बिजली की दक्ष और विवेकपूर्ण आपूर्ति लागत दर्शाता है।
- (ii) उपर्युक्त खण्ड (ग) और (घ) में, विनिर्दिष्ट अवधि के आधार पर लागत का आबंटन करने के बाद विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए प्रशुल्क का डिजाइन अधिनियम की धारा 62(3) के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए तथ्यों के अनुसार होगा।
- (iii) दैनिक प्रशुल्क का समय तीन स्तरों पर बनाया जाएगा जो सामान्य, शीर्ष और कम खपत अवधियों पर आधारित होगा। समय अवधि, वर्ष के विभिन्न मौसमों अर्थात् ग्रीष्म, शीत और मानसून मौसम के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी। शीर्ष प्रशुल्क सामान्य शुल्क से 10%-20% अधिक होगा तथा कम खपत वाली अवधि का प्रशुल्क सामान्य प्रशुल्क से 5%-10% कम रखा जाएगा।
- (iv) दैनिक प्रशुल्क का समय चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा जिसमें चरण-1 में यह एचटी उपभोक्ताओं के लिए, चरण-2 में एलटी उपभोक्ताओं के लिए जो 25 किलोवाट से अधिक की खपत करते हैं और चरण-3 में एलटी उपभोक्ताओं के लिए जो 10 किलोवाट से अधिक की खपत करते हैं।

## भाग-IX विविध

## 37. संशोधन करने का अधिकार

आयोग इन विनियमों के किसी प्रावधान में किसी भी समय संशोधन कर सकता है।

## 38. कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार

यदि इन विनियमों के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान बना सकता है जो अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप न हो जैसा कि कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

#### 39. निरसन और बचत

- 39.1 इन विनियमों में अन्यथा उपलब्ध बचत वितरण लाइसेंसधारी के लिए संयुक्त उद्यम विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2009 के अनुसार होगी।
- 39.2 ऐसे निरसन के बावजूद, नियंत्रण अविध के शुरू होने से पूर्व अविध से संबंधित आयोग के समक्ष कोई कार्रवाई, जिसमें व्यय की ट्रूअप संबंधी याचिका, वार्षिक निष्पादन समीक्षा आदि शामिल हो, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2009 द्वारा अधिशासित होगी।

अनीश गर्ग, निदेशक, जेईआरसी

विज्ञापन III / 4 / असा. / 218–I / 2014]

#### इन प्रपत्रों को वर्तमान वर्ष और एमवाईटी नियंत्रण अवधि के तीन वर्षों के लिए भरा जाए

<u>प्रपत्र-1</u>

(आवेदक का नाम) वर्ष \_\_\_\_\_के लिए सकल राजस्व आवश्यकता ऊर्जा मांग

क्र.सं. उपभोक्ता वर्ष के अंत में वर्ष के वर्ष में मांग (मेगावाट में) ऊर्जा विकी/र कनेक्टेड लोड
---

	श्रेणी***	उपभोक्ताओं की संख्या	(किलोवाट)			
				अप्रतिबंधित	प्रतिबंधित	
1	2	3	4	5	6	7
1.	घरेलू					
2.	वाणिज्यिक					
	(एनआरएस)					
3.	औद्योगिक					
(事)	एचटी आपूर्ति					
(ख)	एलटी आपूर्ति					
(ग)	योग					
4.	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था					
5.	रेलवे ट्रैक्शन					
6.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अंदर कुल मीटर आधारित बिक्री (कृषि को					
	छोड़कर) (योग: 1 से 5)					
7.	कृषि खपत					
(事)	-					
(ख)	मीटर के बिना					
(ग)	योग					
8.	योग					
0,	्राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अंदर					
	मांग/बिक्री (6+7)					

\*\*\* यदि मौजूदा वर्गीकरण इस तालिका/प्रपत्र में दी गई सूची से अलग हों या इसमें शामिल न हों तो एक उपयुक्त अग्रेषण पत्र/नोट द्वारा उपभोक्ता श्रेणी वर्गीकरणों में उचित संशोधन किया जाएगा। यदि इस तालिका/प्रपत्र में ऐसा कोई आशोधन किया जाता है तो इसे उसी क्रम में अन्य तालिका/प्रपत्र, यदि आवश्यक हो, में भी लागू किया जाएगा।

**टिप्पणी:** कृषि पंप सेटों के लिए नमूना मीटरों के अनुसार अलग-अलग वर्षों के लिए अलग-अलग माह-वार कृषि खपत आंकड़ों की भी आपूर्ति की जाए।

<u> प्रपत्र - 2</u>

#### लाइसेंसधारी की वितरण हानि से संबंधित सूचना

#### राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम लाइसेंसधारी का नाम

क्र.सं.	विवरण	गणना	इकाई	पूर्व वर्ष (वास्तविक)	वर्तमान वर्ष (सं.अ.)	आगामी वर्ष (अनुमान)
1.	डिसकोम की आपूर्ति के क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन (अतिरिक्त खपत की कटौती करने के बाद निजी तथा अन्य कोई संबंधित उत्पादन)	क	एमयू			
2.	अन्य काइ सवाधत उत्पादन) डिस्कोम नेटवर्क के अंतरापृष्ठ बिंदुओं पर प्राप्त आदान ऊर्जा (मीटर आधारित आयात)	ख	एमयू			
3.	डिस्कोम नेटवर्क के अंतरापृष्ठ बिंदुओं पर डिस्कोम द्वारा प्राप्त आदान ऊर्जा (मीटर आधारित निर्यात)	ग	एमयू			
4.	डिस्कोम के उपभोक्ताओं को लाइसेंसयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत बिक्री हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा	घ = क+ख-ग	एमयू			
5.	डिस्कोम के लाइसेंसयुक्त क्षेत्र में उपभोक्ताओं को मीटर आधारित उपभोक्ताओं को दिया गया ऊर्जा बिल	ड.	एमयू			
6.	डिस्कोम के लाइसेंसयुक्त क्षेत्र में बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को दिया गया ऊर्जा बिल	च	एमयू			
7.	कुल ऊर्जा बिल	छ = ड.+च	एमयू			
8.	डिस्कोम के लाइसेंसयुक्त क्षेत्र में उपभोक्ताओं को दी गई बिल राशि	ज	रुपए			
9.	ज# पर दी गई बिल राशि में से डिस्कोम द्वारा प्राप्त राशि	झ	रुपए			
10.	संग्रह दक्षता (%)	ञ= (झ/ज)				
	(= प्राप्त राजस्व/बिल की राशि)		%			
11.	डिस्कोम द्वारा प्राप्त ऊर्जा	ट= ञxछ	एमयू			
12.	वितरण हानि (%)	ਠ = {(ਬ-छ)/ਬ}x 100	%			

- @ बिना मीटर वाले उपभोक्ता की तुलना में ऊर्जा बिल को निर्धारित करने के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। यह केवल दो श्रेणियों के लिए ही होना चाहिए अर्थात् कृषि उपभोक्ता और गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार। मानदंडों में कृषि उपभोक्ताओं को की गई आपूर्ति लागत पर परामर्शी अध्ययन के परिणामों के आधार पर पुन: सुधार किया जा सकता है।
- # पिछले वर्षों में बिल राशि के लिए वर्तमान वर्ष में प्राप्त राशि को इस शीर्ष में से हटाया नहीं जाना चाहिए। तथापि, इस शीर्ष में बिजली की वर्तमान वर्ष की बिक्री की तुलना में प्राप्त राजसहायता पर विचार किया जाना चाहिए।

टिप्पणी: लेखा-परीक्षित आंकड़ों को एटीएंडसी हानि का हिसाब लगाने के लिए उपयोगिता (बिलिंग और राजस्व खंड) के वाणिज्यिक विभाग से लिया जाना चाहिए। तथापि, वर्ष 2013-14 के अनंतिम आंकड़ों को अपनाया जाना चाहिए बशर्ते कि लेखा-परीक्षित आंकड़े वर्ष में बाद में उपलब्ध करा दिए जाएं।

(आवेदक का नाम) वर्ष......के लिए सकल राजस्व आवश्यकता ऊर्जा बकाया

(सभी आंकड़े एमयू में)

<u>प्रपत्र-3</u>

क्र.सं.	मद	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष (संशोधित	आगामी वर्ष
1	2	(वास्तविक) 3	अनुमान) 4	(अनुमान) 5
<del>क</del> )	ऊर्जा आवश्यकता		<del>-</del>	
1.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र में मीटर वाली श्रेणी को ऊर्जा बिक्री			
2.	कृषि उपभोक्ताओं को ऊर्जा बिक्री			
3.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र में कुल बिक्री			
4.	सामान्य पूल उपभोक्ता/यूआई को बिक्री			
5.	राज्य/संघ शासित के बाहर बिक्री			
6.	विक्री			
٥.	ाबका क) बिजली के व्यापारियों के लिए			
	क)    पीएक्स के जरिए			
7.	अन्य वितरण के लिए बिक्री			
	, लाइसेंस			
	क) द्विपक्षीय व्यापार			
	ख) बैंकिंग व्यवस्था			
8.	कुल बिक्री			
9.	टीएंडडी हानि			
	i) %			
	ii) एमयू			
10.	कुल ऊर्जा आवश्यकता			
ৰ)	ऊर्जा उपलब्धता			
1.	निवल थर्मल उत्पादन (निजी+ आईपीपी+ केन्द्रीय स्टेशनों की हिस्सेदारी)			
2.	निवल हाईडल उत्पादन (निजी+शेयर)			
3.	निम्नलिखित से खरीदी गई बिजली			
	क) सामान्य पूल/यूआई			
	ख) व्यापारी			
	ग) पीएक्स			
	घ) अन्य			
4.	निवल विद्युत खरीद (1+2 +3)			
5.	कुल ऊर्जा उपलब्धता			

q	u	2	-4

(आवेदक का नाम) वर्ष......के लिए सकल राजस्व आवश्यकता विद्युत क्रय लागत वर्ष.......

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	एनटीपीसी															
1.																
2.																
II	एनएचपीसी															
3.																
4.																
III	एनपीसीआईएल															
5.																
IV	अन्य स्रोत															
6.	निजी-सृजन															
7.	बैंकिंग															
क)																
ख)																
8.	नवीकरणीय															
9.	पीटीसी/ट्रेडर्स															
10.	अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)															
11.	यूआई															
	अन्य प्रभार															
12.	पीजीसीआईएल															
13.	एलडीसी															
14.	आरएलडीसी															
	योग															

**टिप्पणी:** सूचना पिछले वर्ष, वर्तमान वर्ष और एमवाईटी नियंत्रण अवधि वर्षों के लिए अलग-अलग प्रदान की जाए।

प्रपत्र-5

#### (आवेदक का नाम) वर्ष......के लिए सकल राजस्व आवश्यकता निवेश योजना (वर्ष-वार)

	ानवरा थाजना (वप-वार)										
	परियोजना ब्योरा							योजना वे	लिए वित्त-पोष	ण कास्रोत	
योजना	शुरू होने	परियोजना	आयोग	परियोजना	परियोजना	द्वारा	इक्वि	टी घटक	पूंजी	घटक में	वास्तविक
का	का वर्ष	की प्रकृति	द्वारा	प्रारंभ होने	पूरा होने	अनुमोदित	आंतरिक	निवेशित	राजसहायता/	उप <b>भोव</b> ता	व्यय
नाम		(नीचे से	अनुमोदित*	की तारीख	की तारीख	कुल पूंजी	प्रोदभूत	इक्विटी**	अनुदान	अंशदान	
		उपयुक्त	(हां/नहीं)	(दिन-	(दिन-	व्यय	(मुफ्त		घटक		

[भाग III-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 25

		कोड का चयन करें)		माह-वर्ष)	माह-वर्ष)	(करोड़ रुपए)	रिजर्व और अधिशेष)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### टिप्पणियां:

- \* उपयुक्त पेपर वर्क सहित समर्थन अर्थात् विस्तृत परियोजना रिपोर्टें और अन्य दस्तावेज, जैसे आवश्यक समझे जाएं
- \*\*सरकार का ब्योरा उपलब्ध कराएं तथा लाइसेंसधारी/निजी शेयर

कार्य की प्रकृति का चयन करने के लिए कोड

- क. ईएचवी योजनाएं
- ख. वितरण योजननाएं
  - I. प्रणाली विस्तार
  - II. प्रणाली सुधार
  - III. हानि को कम करने की योजनाएं
- ग. मीटर योजनाएं
- घ. कैपेसिटर
- ड. एससीएडीए/डीएमएस आदि
- च. विविध

प्रपत्र-6

#### (आवेदक का नाम) वर्ष......के लिए सकल राजस्व आवश्यकता पूंजी आधार और प्रतिलाभ

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	विवरण	पिछला वर्ष (वास्तविक)	वर्तमान वर्ष (संशोधित अनुमान)	आगामी वर्ष (अनुमान)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	वर्ष के शुरू में सकल ब्लॉक			
2.	घटा संचित मूल्य ह्रास			
3.	वर्ष के शुरू में निवल ब्लॉक			
4.	घटा संचित उपभोक्ता अंशदान			
5.	वर्ष के शुरू में निवल नियत परिसंपत्तियां			
6.	एनएफए का 3% की दर से तर्कसंगत प्रतिलाभ			

क्र.सं.	विवरण	डब्ल्यूआईपी	नियत परिसंपत्तियां
1.	2.	3.	4.
1.	पिछले वर्ष की 31 मार्च को		
	वर्तमान वर्ष के दौरान जमा पूंजीगत व्यय		
	योग:		
	घटा नियत परिसंपत्तियों को अंतरित		
2.	वर्तमान वर्ष की 31 मार्च को		
	आगामी वर्ष के दौरान जमा पूंजीगत व्यय		
	योग:		
	घटा नियत परिसंपत्तियों को अंतरित		
3.	आगामी वर्ष की 31 तारीख को		
क्र.सं.	विवरण		राशि
1.	संचित मूल्य ह्रास		
2.	पिछले वर्ष की 31 मार्च को		
3.	जमा: वर्तमान वर्ष के लिए मूल्य ह्रास		
4.	वर्तमान वर्ष की 31 मार्च को		
	कुल मूल्य ह्रास (2+3+4)		
5.	उपभोक्ता का अंशदान		
6.	पिछले वर्ष की 31 मार्च को		
7.	वर्तमान वर्ष के दौरान जमा		

8.	वर्तमान वर्ष की 31 मार्च को	
	कुल उपभोक्ता वंशदान (6+7+8)	

प्रपत्र-7

## (आवेदक का नाम) वर्ष......के लिए सकल राजस्व आवश्यकता नियत परिसंपत्तियों की मूल लागत

(करोड़ रुपए में )

क्र.सं.	परिसंपत्ति समूह	पिछले वर्ष के शुरू में परिसंपत्तियों का मूल्य	पिछले वर्ष के दौरान जमा	पिछले वर्ष के अंत तक अंतिम बकाया	वर्तमान वर्ष के दौरान जमा*	वर्तमान वर्ष के अंत तक अंतिम बकाया	आगामी वर्ष के दौरान जमा*	आगामी वर्ष के अंत तक अंतिम बकाया
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	थर्मल							
2.	हाइड्रो							
3.	आंतरिक कंबशन							
4.	ट्रांसमिशन							
5.	वितरण							
6.	अन्य							
	योग							

<sup>\*</sup> अनुमानित/लेखा-परीक्षित

प्रपत्र-8

#### (आवेदक का नाम) वर्ष......के लिए सकल राजस्व आवश्यकता चल रहा कार्य

(करोड़ रुपए में )

<b>क्र</b> .सं.	विवरण	पिछला वर्ष (वास्तविक)	वर्तमान वर्ष (संशोधित अनुमान)	आगामी वर्ष (अनुमान)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आदि शेष			
2.	जमा: नया निवेश			
3.	योग			
4.	पूंजीकृत निवेश घटाकर			
5.	अंतिम बकाया			

<u>प्रपत्र-9</u>

## (आवेदक का नाम) वर्ष......के लिए सकल राजस्व आवश्यकता पूंजीकृत व्याज

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	पूंजीकृत ब्याज	पिछला वर्ष (वास्तविक)	वर्तमान वर्ष (संशोधित अनुमान)	आगामी वर्ष (अनुमान)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	डब्ल्यूआईपी*			
2.	वर्ष के अंत में जीएफए*			
3.	वर्ष के अंत में डब्ल्यूआईपी +जीएफए			
4.	ब्याज (डब्ल्यूसीएल पर ब्याज को छोड़कर)			
5.	पूंजीकृत ब्याज			

<sup>-</sup>\*डब्ल्युआईपी: चल रहा कार्य; जीएफए: सकल नियत परिसंपत्तियां; डब्ल्यूसीएल: कार्यशील पूंजी ऋण

प्रपत्र-10

(आवेदक का नाम)
वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता
वर्ष के लिए ऋणों का ब्योरा

## [पिछले वर्ष (वास्तविक), वर्तमान वर्ष (संशोधित अनुमान) और सभी तीन एमवाईटी नियंत्रण अवधि वर्ष (अनुमान) (करोड़ रुपए में)]

क्र.सं.	विवरण (स्रोत)	प्रारंभिक	व्याज	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	अंतिम	चुकाए गए व्याज	की राशि
		शेष	की दर	जमा	अदायगी	शेष	वर्तमान वर्ष (संशोधित अनुमान)	आगामी वर्ष (अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एसएलआर बांड							
2.	गैर एसएलआर बांड							
3.	एलआईसी							
4.	आरईसी							
5.	वाणिज्यिक बैंक							
6.	बिलों में छूट							
7.	पट्टा किराया							
8.	पीएफसी							
9.	जीपीएफ							
10.	सीएसएस							
11.	कार्यशील पूंजी ऋण							
12.	अन्य							
13.	योग							
14.	जमा सरकारी ऋण – राज्य							
	सरकार – केन्द्र सरकार योग							
15.	योग (13+14)							
16.	घटा पूंजीकरण							
17.	निवल ब्याज							
18.	जमा पूर्व अवधि							
19.	कुल ब्याज							
20.	वित्त प्रभार							
21.	कुल ब्याज और वित्त प्रभार							

प्रपत्र-11

## (आवेदक का नाम) .....वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता वर्ष के दोरान बकाया ऋणों के पुनर्गठन के संबंध में सूचना

क्र.सं.	ऋण का स्रोत	मूल ऋण की राशि (करोड़ रुपए में)	ब्याज की पुरानी दर	राशि पहले से पुनर्गठित (करोड़ रुपए में)	ब्याज की संशोधित दर	अब पुनर्गठित की जा रही राशि (करोड़ रुपए में)	व्याज की नई दर
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र-12

(आवेदक का नाम)

.....वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता

#### परिसंपत्तियों और मूल्य ह्रास प्रभारों का मूल्य

क्र.सं.	विवरण	मूल्य ह्रास	पिछला वर्ष	:	वर्तमान वर	र्ष	आगामी वर्ष	•	संचित
	परिसंपत्तियों का नाम	की दर*	वर्ष के शुरू में परिसंपत्तियों का	<b>मूल्य</b> ह्वास	वर्ष के शुरू में परिसंपत्तियों का	मूल्य ह्वास	वर्ष के शुरू में परिसंपत्तियों का	मूल्य ह्वास	मूल्य ह्वास
			मूल्य	प्रभार	मूल्य	प्रभार	मूल्य	प्रभार	`

1 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- 1	(i) थर्मल	<u> </u>	4	3		,		9	10
1.	भूमि और भूमि अधिकार								
2.	भवन								
3.	हाइड्रूलिक कार्य								
4.	अन्य सिविल कार्य								
5.	संयंत्र और मशीनरी								
6.	लाइनें और केबल नेटवर्क								
7.	वाहन								
8.	फर्नीचर और फिक्सचर								
9.	कार्यालय उपकरण								
10.	योग								
	(ii) हाईडल								
1.	भूमि और भूमि अधिकार								
2.	भवन								
3.	हाइड्रूलिक कार्य								
4.	अन्य सिविल कार्य								
5.	संयंत्र और मशीनरी								
6.	लाइनें और केबल नेटवर्क								
7.	वाहन								
8.	फर्नीचर और फिक्सचर								
9.	कार्यालय उपकरण								
10.	योग								
	(iii) आंतरिक दहन								
1.	भूमि और भूमि अधिकार								
2.	भवन								
3.	हाइड्रूलिक कार्य								
4.	अन्य सिविल कार्य								
5.	संयंत्र और मशीनरी								
6.	लाइनें और केबल नेटवर्क								
7.	वाहन फर्नीचर और फिक्सचर								
8. 9.	कार्यालय उपकरण								
10.	योग								
10.									
1.	(iv) ट्रांसमिशन भूमि और भूमि अधिकार								
2.	भवन								
3.	हाइड्रूलिक कार्य								
4.	अन्य सिविल कार्य								
5.	संयंत्र और मशीनरी								
6.	लाइनें और केबल नेटवर्क								
7.	वाहन								
8.	फर्नीचर और फिक्सचर								
9.	कार्यालय उपकरण								
10.	योग								
	(v) वितरण								
1.	भूमि और भूमि अधिकार								
2.	भवन								
3.	हाइडूलिक कार्य								
4.	अन्य सिविल कार्य								

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 29

5.	संयंत्र और मशीनरी				
6.	लाइनें और केबल नेटवर्क				
7.	वाहन				
8.	फर्नीचर और फिक्सचर				
9.	कार्यालय उपकरण				
10.	योग				
	(vi) अन्य				
	कुल योग (i से vi)				

## टिप्पणी \* सीईआरसी की मूल्य ह्रास अनुसूची के अनुसार मूल्य ह्रास दरें

प्रपत्र-13

(आवेदक का नाम) .....वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता मरम्मत और रखरखाव व्यय

				(करोड़ रुपए		
क्र.सं.	विवरण	पिछला वर्ष (वास्तविक)	वर्तमान वर्ष (संशोधित अनुमान)	आगामी वर्ष (अनुमान)		
1	2	3	4	5		
	संयंत्र और मशीनरी					
	- संयंत्र और उपकरण					
	- ईएचवी सबस्टेशन					
	- 33 कि.वाट सबस्टेशन					
	- 11 कि.वाट सबस्टेशन					
	- स्विचगियर और केबल कनेक्शन					
	- अन्य					
	योग					
2.	भवन					
3.	हाइड्रूलिक कार्य और सिविल कार्य					
	लाइन केबल और नेटवर्क					
	- ईएचवी लाइनें					
	- 33 कि.वाट सबस्टेशन					
	- 11 कि.वाट सबस्टेशन					
4.	- एलटी लाइनें					
	- मीटर और मीटरिंग उपकरण					
	- अन्य					
	योग					
5.	वाहन					
6.	फर्नीचर और फिक्सचर					
7.	कार्यालय उपकरण					
8.	प्रचालन व्यय					
9.	योग					
10.	अन्यों का जमा/काटा गया शेयर (विनिर्दिष्ट किया					
	जाए)					
11.	कुल व्यय					
12.	घटा पूंजीकृत					
13.	निवल व्यय					

14.	जमा पूर्व अवधि*		
15.	आरएंडएम व्यय के रूप में राजस्व में लगाया गया		
	कुल व्यय		

<sup>\*</sup>इन प्रभारों का वर्ष-वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।

प्रपत्र-14

## (आवेदक का नाम) .....वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता कर्मचारियों की कुल संख्या

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	पिछला वर्ष (वास्तविक)	वर्तमान वर्ष (संशोधित अनुमान)	आगामी वर्ष (अनुमान)
4	2	(414417)	(वसावव जनुनान)	(अनुवारा)
	4	7	*	5
1.	1 अप्रैल को कर्मचारियों की संख्या			
2.	1 अप्रैल को प्रतिनियुक्ति पर/विदेशी सेवा में कर्मचारी			
3.	कर्मचारियों की कुल संख्या (1+2)			
4.	वर्ष के दौरान सेवा-निवृत्त/सेवा-निवृत्त होने वाले			
	कर्मचारी			
5.	वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या (4-5)			

**टिप्पणी:** उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण के लिए कर्मचारियों की संख्या से संबंधित सूचना अलग-अलग प्रस्तुत की जाए।

प्रपत्र-15

(आवेदक का नाम)
.....वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता

.....वर्ष के लिए कर्मचारी लागत

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	पिछला वर्ष (वास्तविक)	वर्तमान वर्ष (संशोधित अनुमान)	आगामी वर्ष (अनुमान)
1	2	3	4	5
	वेतन और भत्ते			
1.	मूल वेतन			
2.	महंगाई वेतन			
3.	महंगाई भत्ता			
4.	आवास किराया भत्ता			
5.	नियत चिकित्सा भत्ता			
6.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रभार			
7.	समयोपरि भुगतान			
8.	अन्य भत्ते (विस्तृत सूची संलग्न की जाए)			
9.	उत्पादन प्रोत्साहन			
10.	बोनस			
11.	योग			
	आवधिक लाभ			
12.	छुट्टी नकद भुगतान			
13.	उपदान			
14.	पेंशन का रूपांतरण			
15.	कामगार मुआवजा			
16.	अनुग्रह राशि			
17.	योग			
	पेंशन भुगतान			
18.	मूल पेंशन			
19.	महंगाई पेंशन			
20.	महंगाई भत्ता			
21.	अन्य कोई व्यय			
22.	योग			
23.	योग (11+17+22)			
24.	पूंजीकृत राशि			
25.	निवल राशि			
26.	जमा पूर्व अवधि व्यय			

[भाग III-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 31

27.	कुल योग		

#### टिप्पणी:

- 1. पूर्व अवधि कर्मचारी लागत, यदि कोई हो, का वर्ष-वार ब्योरा उपलब्ध कराया जाए ।
- 2. उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण के लिए कर्मचारियों की लागत से संबंधित सूचना अलग-अलग प्रस्तुत की जाए ।

प्रपत्र-16

(आवेदक का नाम)

.....वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता

#### प्रशासन और सामान्य व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	आगामी वर्ष
		(वास्तविक)	(संशोधित अनुमान)	(अनुमान)
1	2	3	4	5
1.	किराया, दर और कर			
2.	बीमा			
3.	दूरभाष, डाक टिकट			
4.	परामर्शी शुल्क			
5.	तकनीकी शुल्क			
6.	अन्य व्यावसायिक प्रभार			
7.	वाहन और यात्रा व्यय			
8.	बिजली और जल प्रभार			
9.	अन्य			
10.	भाड़ा			
11.	अन्य सामग्री संबंधित व्यय			
12.	योग			
13.	अन्य का जमा/कटौती किया गया शेयर			
14.	कुल व्यय			
15.	घटा पूंजीकृत			
16.	निवल व्यय			
17.	जमा पूर्व अवधि*			
18.	राजस्व में डाला गया कुल व्यय			

<sup>\*</sup>इन प्रभारों का वर्ष-वार ब्योरा उपलब्ध कराया जाए ।

प्रपत्र-17

#### (आवेदक का नाम)

.....वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता

#### अशोध्य और संदिग्ध ऋणों से संबंधित सूचना

क्र.सं.	विवरण	राशि
		(करोड़ रुपए में)
1	2	3
1.	प्राप्य राशि (लेखा-परीक्षित)	
2.	बही खातों में वास्तव में बट्टे खाते में डाला गया अशोध्य और संदिग्ध ऋण	
3.	एआरआर में ऋणों के लिए किया गया प्रावधान	

प्रपत्र-18

#### (आवेदक का नाम)

.....वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता

#### वर्तमान और आगामी वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी से संबंधित सूचना

क्र.सं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपए में)		
		वर्तमान वर्ष (संशोधित अनुमान)	आगामी वर्ष (अनुमान)	
1	2	3	4	
1.	दो माह का प्राप्य			
2.	एक माह के लिए विद्युत क्रय लागत			
3.	कुल उपभोक्ता सुरक्षा जमा राशि			
4.	बैंक गारंटी/सावधि जमा रसीदें			

5.	पिछले वर्ष की सकल राजस्व आवश्यकता के आधार पर दो माह की मांग सूची	
6.	योग (1-2-4-5)	 

प्रपत्र-19

#### (आवेदक का नाम)

#### .....वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता

#### विदेशी विनिमय दार अंतर (एफईआरवी) से संबंधित सूचना

क्र.सं.	विवरण	राशि
		राशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1.	उपलब्ध कराई गई देयता राशि	
2.	वसूली गई राशि	
3.	समायोजित राशि	

प्रपत्र-20

#### (आवेदक का नाम) .....वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता गैर प्रशुल्क आय

क्र. सं.	विवरण	पिछला वर्ष (वास्तविक)	वर्तमान वर्ष (संशोधित अनुमान)	आगामी वर्ष (अनुमान)
1	2	3	4	5
1.	मीटर/सेवा किराया			
2.	विलंब भुगतान अधिभार			
3.	बिजली की चोरी			
4.	ओपन एक्सेस के अंतर्गत व्हीलिंग प्रभार			
5.	ट्रेडिंग से आय			
6.	आय कर्मचारी कल्याण कार्यकलाप			
7.	विविध प्राप्तियां/आय			
8.	कुल आय			
9.	जमा पूर्व अवधि आय*			
10.	कुल गैर प्रशुल्क आय			

<sup>\*</sup>पूर्व अवधि आय का वर्ष-वार ब्योरा उपलब्ध कराया जाए।

प्रपत्र-21

#### (आवेदक का नाम)

.....वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता

#### अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व से संबंधित सूचना

क्र.सं.	विवरण	(राशि करोड़ रुपए में)		
		पिछला वर्ष (वास्तविक)	वर्तमान वर्ष (संशोधित अनुमान)	आगामी वर्ष (अनुमान)
1	2	3	4	5
1.	अन्य व्यवसाय से प्राप्त कुल राजस्व			
2.	विनियमों के अनुसार लाइसेंसप्राप्त व्यवसाय के लिए			
	विचार किए जाने वाले अन्य व्यवसाय से प्राप्त आय			

**टिप्पणी:** पिछले वर्ष, वर्तमान वर्ष और आगामी वर्ष से संबंधित सूचना दी जाए जिसके लिए अन्य व्यवसाय हेतु लाइसेंस प्रचालन में था।

प्रपत्र-22

## (आवेदक का नाम) .....वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता

पट्टा ब्योरा

क्र.सं.	पट्टादार का नाम	सकल परिसंपत्तियां (करोड़ रुपए में)	पट्टा करने की तारीख	पट्टा किराया	प्रारंभिक अवधि समाप्ति/तक समाप्त	द्वितीयक अवधि समाप्त होने की तारीख
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 33

प्रपत्र-23

# (आवेदक का नाम) .....वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (सभी वस्तुएं) से संबंधित सूचना (दस्तावेजी साक्ष्य भी संलग्न किए जाएं)

क्र.सं.	अवधि	डब्ल्यूपीआई/सीपीआई*	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि
1.	2.	3.	4.
1.	पिछले वर्ष की 1 अप्रैल को		
2.	वर्तमान वर्ष की 1 अप्रैल को		
3.	आगामी वर्ष की 1 अप्रैल को		

<sup>•</sup>यदि विनियम 28.3(ख) के प्रारूप में इसे हटा दिया जाता है तो सीपीआई देना आवश्यक नहीं है।

प्रपत्र-24

# (आवेदक का नाम) .....वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (सभी वस्तुएं) से संबंधित सूचना इक्विटी और ऋण की राशि से संबंधित सूचना

क्र.सं.	अव घि	इक्विटी की राशि (करोड़ रुपए में)	ऋण की राशि (करोड़ रुपए में)	<b>इक्विटी और ऋण</b> का अनुपात
1.	2.	3.	4.	5.
1.	पिछले वर्ष की 31 मार्च को			
2.	वर्तमान वर्ष की 31 मार्च को			
3.	आगामी वर्ष की 31 मार्च को			

प्रपत्र-25

(आवेदक का नाम)

.....वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता

(करोड़ रुपए में)

			<del>,</del>		(करोड़ रुपए में -
क्र.सं.	व्यय की मद	लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तावित	लाइसेंसधारी द्वारा संशोधित	आयोग द्वारा अनुमोदित	खाते के अनुसार वास्तविक स्थिति
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ईंधन की लागत				
2.	बिजली खरीद की लागत				
3.	कर्मचारी लागत				
4.	ओएंडएम व्यय				
5.	प्रशासन और सामान्य व्यय				
6.	मूल्य हास				
7.	ब्याज प्रभार (कार्यशील पूंजी पर ब्याज सहित)				
8.	एनएफए/इक्विटी पर प्रतिलाभ				
9.	अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान				
10.	कुल राजस्व आवश्यकता				
11.	घटा: गैर प्रशुल्क आय				
12.	निवल राजस्व आवश्यकता (10-11)				
13.	प्रशुल्क से राजस्व				
14.	अंतर (12-13)				
15.	के लिए अंतर				
16.	कुल अंतर (14+15)				
17.	अग्रेनीत राजस्व अधिशेष				
18.	प्रस्तावित प्रशुल्क से अतिरिक्त राजस्व				
19.	विनियामक परिसंपत्तियां				

_				
	20.	ऊर्जा बिक्री (एमयू)		

#### टिप्पणी:

- i. पिछले वर्ष के लिए कॉलम 1 से 6 लागू
- ii. पिछले वर्ष के लिए कॉलम 1 से 4 लागू
- iii. पिछले वर्ष के लिए कॉलम 1 से 3 लागू

प्रपत्र-26

## (आवेदक का नाम)

## .....वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता

#### मौजूदा प्रशुल्क से प्राप्त राजस्व

[सूचना पिछले वर्ष (वास्तविक), वर्तमान वर्ष (संशोधित अनुमान), आगामी वर्ष (अनुमान) के लिए दी जाए)]

क्र.सं.	उपभोक्ताओं की श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या	ऊर्जा बिक्री (एमयू)	संविदागत अधिकतम मांग केवीए	मांग प्रभार (रुपए/केवीए)	प्रशुल्क दर (पी/यूनिट)	राजस्व (करोड़ रुपए में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	घरेलू						
क)	पहला स्लैब						
ख)	दूसरा स्लैब						
ग)	तीसरा स्लैब						
ঘ)	चौथा स्लैब						
	योग						
2.	एनआरएस/वाणिज्यिक						
3.	पब्लिक लाइटिंग						
4.	औद्योगिक						
क)	एचटी						
ख)	एलटी						
	योग						
5.	बिल बोर्ड और होर्डिंग						
6.	बल्क आपूर्ति						
7.	रेलवे ट्रैक्शन						
8.	सामान्य पूल/यूआई						
9.	बाहरी राज्य						
10.	योग						
11.	कृषि						
12.	योग						
13.	जमा एमएमसी और अन्य प्रभार						
14.	कुल योग						

\*\*\*यदि मौजूदा वर्गीकरण सूचनी में दिए गए वर्गीकरण से भिन्न हो, या इस तालिका/फार्मेट में न हो तो उपभोक्ता श्रेणी वर्गीकरणों में उपयुक्त रूप से आशोधन किया जाए और एक उपयुक्त अग्रेषण पत्र/टिप्पणी लगाई जाए। यदि ऐसा कोई आशोधन इस तालिका/फार्मेट में दिया जाता है तो इसे, यदि आवश्यक हो, उसी क्रम में अन्य तालिका/फार्मेट में भी दर्शाया जाए।

#### JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

**NOTIFICATION** 

Goa, the 30th June, 2014

#### Control Period FY 2015—2018

#### Joint Electricity Regulatory Commission (Multi Year Distribution Tariff) Regulations, 2014

**No. JERC- 18/2014.**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 181 and clauses (zd), (ze) and (zf) of sub-section (2) of section 181, read with Sections 61, 62, 83 and 86, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, after previous publication the Joint

Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulation:—

## PART-I PRELIMINARY

#### 1. Short Title and Commencement

- 1.1 These regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (except Delhi) (Multi Year Distribution Tariff) Regulations, 2014.
- 1.2 These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. Scope and Extent of Application

- 2.1 These regulations shall apply to all the Distribution Licensees in the State of Goa & Union Territories of Andaman & Nicobar Island, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Chandigarh, Lakshadweep and Puducherry.
- 2.2 These regulations shall be applicable for determination of tariff in all cases covered under these Regulations from April 1, 2015 up to March 31, 2018. (i.e. till FY 2015-18)
- 2.3 These regulations shall extend to the whole of the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Chandigarh, Lakshadweep and Puducherry.

#### 3. Definitions

- 3.1 In these regulations, unless the context otherwise requires, -
  - 3.1.1. "**Act**" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
  - 3.1.2. "Aggregate Revenue Requirement" or "ARR" means the costs pertaining to the licensed business which are permitted, in accordance with these regulations, to be recovered from the tariffs and charges determined by the Commission;
  - 3.1.3. "Base Year" means the financial year immediately preceding first year of the control period and used for the purposes of these regulations;
  - 3.1.4. "Commission" means the "Joint Electricity Regulatory Commission";
  - 3.1.5. "Conduct of Business Regulations" means the "Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories (Conduct of Business) Regulations, 2009", as amended from time to time.
  - 3.1.6. "Control Period" means multi-year period comprising of three financial years of FY 2015-16 to FY 2017-18, and as may be extended by the Commission, for submission of forecast in accordance with these Regulations;
  - 3.1.7. **"Financial Year"** means a period commencing on 1st April of a calendar year and ending on 31st March of the subsequent calendar year;
  - 3.1.8. "License" means a license granted under clause (b) of section 14 of the Act;
  - 3.1.9. "Licensed Business" means the functions and activities, which the licensee is required to undertake in terms of the license granted by the Commission or being a deemed licensee under the Act;
  - 3.1.10. "Licensee" means a person who has been granted a license under Section 14 of the act and shall include a deemed licensee;
  - 3.1.11. "Non-Tariff Income" means income relating to the licensed business other than from tariff (wheeling and retail supply), and excluding any income from other business, cross-subsidy surcharge and additional surcharge;
  - 3.1.12. "Other Business" means any other business of the distribution licensee for optimum utilization of its assets within the meaning of Section 51 of the Act;
  - 3.1.13. "**Retail Supply Business**" means the business of sale of electricity by a distribution licensee to the consumers within the area of supply in accordance with the terms of the license for distribution and retail supply of electricity;
  - 3.1.14. "Wheeling" means the operation whereby the distribution system and associated facilities of a distribution licensee are used by another person for the conveyance of electricity on

payment of charges to be determined under Section 62, of the Act and in the event where use of the distribution system and associated facilities is by a consumer, on payment of a surcharge in addition to the charges for wheeling as may be determined by the Commission under the first proviso to sub-section (2) of Section 42 of the Act, an additional surcharge on the charges of wheeling, as may be specified by the Commission, if applicable, to meet the fixed cost of such distribution licensee arising out of his obligation to supply, under sub-section (4) of Section 42 of the Act and wheeling charges under clause (c) of sub-section (1) of Section 62 of the Act;

- 3.1.15. "Wheeling Business" means the business of operating and maintaining a distribution system for conveyance of electricity in the area of supply of the distribution licensee.
- 3.2 The words and expressions used and not defined in these Regulations, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3.3 The words "Application" or "Petition" shall be interpreted synonymously.

#### **PART-II**

#### **GENERAL PRINCIPLES**

#### 4. Multi Year Tariff Framework

- 4.1 The Commission shall determine the tariff for distribution business of electricity under a Multi-Year Tariff framework with effect from April 1, 2015 :
- 4.2 The Multi-Year Tariff framework shall be based on the following elements, for calculation of Aggregate Revenue Requirement and expected revenue from tariff and charges for Distribution Business:
  - i. Control Period, before commencement of which a forecast of the Aggregate Revenue Requirement and expected revenue from existing tariff and charges shall be submitted by the applicant and approved by the Commission;
  - ii. A detailed Business Plan based on the Operational Norms and trajectories of performance parameters specified in these Regulations, for each year of the Control Period, shall be submitted by the applicant for the Commission's approval;
  - iii. Based on the Business Plan as approved by the Commission by order, the applicant shall submit a petition with the forecast of Aggregate Revenue Requirement and expected revenue from existing tariff for each year of the Control Period, and the Commission shall approve the tariff for each year of the Control Period;
  - iv. The mechanism for pass-through of approved gains or losses on account of uncontrollable factors as specified by the Commission in these Regulations;
  - v. The mechanism for sharing of approved gains or losses arising out of controllable factors as specified by the Commission in these Regulations;

#### 5. Business Plan

- 5.1 The Distribution Licensee shall file Business Plan, for Control Period of three financial years from April 1, 2015 to March 31, 2018, which shall comprise but not be limited to detailed category-wise sales and physical targets, power procurement plan, capital investment plan, financing plan and Provided that in case the Commission issues guidelines and formats, from time to time, the same shall be adhered to by the Distribution Licensee.
- 5.2 The capital investment plan shall show separately, on-going projects that will spill into the financial year 2015-2016 and new projects (along with justification) that will commence and scheduled to be completed within or beyond the tariff period i.e. by or beyond 31.03.2018. The Commission shall consider and approve the capital investment plan for which the Distribution Licensee shall provide relevant technical and commercial details.
- 5.3 The Distribution Licensees shall project the power purchase requirement after considering effect of target set for Energy Efficiency (EE) and Demand Side Management (DSM) schemes.

Provided that the power purchase cost of the respective Distribution Licensee shall be allowed after considering the target set by the Commission for Energy Efficiency (EE) and Demand Side Management (DSM) schemes, if any, and any shortfall in meeting the target shall be disallowed by the Commission at marginal cost of power purchase of that Distribution Licensee for determination of tariff

### 6. ARR Forecast

- 6.1 The applicant shall, based on the Business Plan as approved by the Commission by order, submit the forecast of Aggregate Revenue Requirement and expected revenue from tariff, for the Control Period by a Petition in accordance with the JERC (Terms & Condition for determination of Tariff) Regulations, 2009 by 30<sup>th</sup> November of the year prior to the commencement of the Control Period and accompanied by such fee payable, as specified in the JERC (Conduct of Business) Regulations, 2009.
- 6.2 The forecast of Aggregate Revenue Requirement shall be developed using the assumptions relating to the behaviour of individual variables that comprise the Aggregate Revenue Requirement during the Control Period.
- 6.3 The forecast of expected revenue from tariff and charges shall be developed based on the following:
  - (a) Estimates of quantum of electricity to be supplied to consumers and wheeled on behalf of Distribution System Users for each financial year within the Control Period; and
  - (b) Prevailing tariff as at the date of making the application.

### 7. Specific trajectory for certain variables

7.1 The Commission shall approve a trajectory while approving the Business Plan for certain variables having regard to the reorganization, restructuring and development of the electricity industry in the State:

Provided that the variables for which a trajectory may be indicated by the licensee include, but are not limited to, Operation & Maintenance expense norms, supply availability and wires availability and distribution losses.

### 8. Annual Review of Performance and True-up

- (1) The Commission shall undertake a review along with the next Tariff Order of the expenses and revenue approved by the Commission in the Tariff Order. While doing so, the Commission shall consider variations between approvals and revised estimates/actuals of sale of electricity, income and expenditure for the relevant year and permit necessary adjustments/ changes in case such variations are for adequate and justifiable reasons. Such an exercise shall be called 'Review'.
- (2) After audited accounts of a year are made available, the Commission shall undertake similar exercise as above with reference to the final actual figures or the provisional actual accounts as available as per the audited accounts. This exercise with reference to audited accounts shall be called 'Truing Up'.
  - The Truing Up for any year will ordinarily not be considered after more than one year of 'Review'.
- (3) The revenue gap/surplus, if any, of the ensuing year shall be adjusted as a result of review and truing up exercises.
- (4) While approving such expenses/revenue to be adjusted in the future years as arising out of the Review and/or Truing up exercises, the Commission may allow the carrying costs as determined by the Commission of such expenses/revenue. Carrying costs shall be limited to the interest rate approved for working capital borrowings.
- (5) For any revision in approvals, the licensee would be required to satisfy the Commission that the revision is due to conditions beyond its control.
- (6) In case additional supply is required to be made to any particular category, the licensee may, any time during the year make an application to the Commission for its approval. The application will demonstrate the need for such additional supply of power and also indicate the manner in which the licensee proposes to meet the cost for such additional supply of power.

### 9. Controllable and uncontrollable factors

- 9.1 The "uncontrollable factors" shall comprise of the following factors which were beyond the control of, and could not be mitigated by the applicant:
  - (a) Force Majeure events, such as acts of war, fire, natural calamities, etc.
  - (b) Change in law;
  - (c) Taxes and Duties;
  - (d) Variation in sales; and
  - (e) Variation in the cost of power generation and/or power purchase due to the circumstances specified in these Regulations;
- 9.2 Some illustrative variations or expected variations in the performance of the applicant, which may be attributed by the Commission to controllable factors include, but are not limited to the following:
  - (a) Variations in capital expenditure on account of time and/or cost overruns/ efficiencies in the implementation of a capital expenditure project not attributable to an approved change in scope of such project, change in statutory levies or force majeure events;
  - (b) Variations in Transmission and Distribution Losses (T&D) losses in case of bundled utilities and Distribution losses in case of un-bundled utilities which shall be measured as the difference between the units input into the distribution system and the units supplied and billed;
  - (c) Depreciation and working capital requirements;
  - (d) Failure to meet the standards specified in the Joint Electricity Regulatory Commission (Standards of Performance) Regulations, 2009 except where exempted;
  - (e) Variation in operation & maintenance expenses, except those attributable to directions of the Commission;
  - (f) Variation in Wires Availability and Supply Availability;
  - (g) Variation on account of inflation:

### 10. Mechanism for Sharing of Gains with Respect to Norms and Targets

Mechanism for pass through of gains or losses:

- 10.1 The licensee shall pass on to the consumers, the 70% of the gain arising from over achievement of the norms laid down by the Commission in these Regulations or targets set by the Commission from time to time and retaining balance 30% with themselves.
- 10.2 The approved aggregate gain or loss to the Distribution Licensee on account of uncontrollable factors shall be passed through, as an adjustment in the tariff of the Distribution Licensee, as specified in these Regulations and as may be determined in the Order of the Commission passed under these Regulations.
- 10.3 The Distribution Licensee shall submit such details of the variation between expenses incurred and revenue earned and the figures approved by the Commission, in the prescribed format to the Commission, along with the detailed computations and supporting documents as may be required for verification by the Commission.
- 10.4 Nothing contained in this Regulation 10 shall apply in respect of any gain or loss arising out of variations in the price of fuel and power purchase, which shall be dealt with as specified by the Commission from time to time.

### 11. Mechanism for Sharing of Losses with Respect to Norms and Targets

(1) The licensee shall bear the entire loss on account of its failure to achieve the norms laid down by the Commission or targets set by the Commission from time to time.

### PART-III PROCEDURE

### 12. Procedure relating to making of an application for determination of Tariff

- 12.1 An application for approval of the Business Plan shall be made by 30th September of the year prior to the commencement of the Control Period, in accordance with the JERC (Conduct of Business), Regulations, 2009, and accompanied by fee of Rupees One Lakh (Rs. 1,00,000/- only).
- 12.2 An application for determination of tariff shall be made by 30th November every year, in such form and in such manner as specified in this Regulation, and accompanied by such fees as may be specified by the Commission.
  - Proceedings to be held by the Commission for determination of tariff shall be in accordance with the JERC (Conduct of Business) Regulations, 2009, as amended from time to time.
- 12.3 The petition for determination of tariff shall be accompanied by information for the previous year, current year and the ensuing year for the entire control period capturing the expected revenues from the tariff and charges including miscellaneous charges along with detailed assumptions and parameters required in annual true-up exercise etc.
  - Provided that the application shall be accompanied where relevant, by a detailed tariff revision proposal showing category-wise tariff and how such revision would meet the gap, if any, in Aggregate Revenue Requirement for each year of the Control Period.
  - Provided further that the information for the previous year shall be based on audited accounts and in case audited accounts for previous year are not available, audited accounts for the immediately preceding previous year should be submitted along with un-audited accounts for the previous year:
- 12.4 The Distribution Licensee shall along with the petition for determination of tariff submit a statement on the status of compliance of directives, if any, issued by the Commission in its last tariff order.
- 12.5 The petition for determination of tariff shall include the details of actual subsidy received from the State Government/UT administration vis-à-vis claimed by the Distribution Licensee and the True-up petition for the previous year:
- 12.6 The Commission may seek clarification and additional information on inadequacies in the application, if any, for approval of the Business Plan and application for determination of tariff, as the case may be.
- 12.7 The Distribution Licensee shall respond expeditiously to the Commission with all clarifications and information as required.
- 12.8 The Commission shall admit the application for approval of the Business Plan and application for determination of tariff, after preliminary scrutiny of the Business Plan.
- 12.9 Upon receipt of a complete application accompanied by all requisite information, particulars and documents in compliance with all the requirements specified in these Regulations, the application for approval of the Business Plan and application for determination of tariff, as the case may be, shall be deemed to be received and the Commission or the Secretary or the designated Officer shall intimate to the applicant that the application is ready for publication.
- 12.10 The applicant shall, within three (3) days of an intimation received to him in accordance with Regulation 12.9, publish a notice, in at least three (3) daily newspapers widely circulated in the area to which the application pertains, outlining the proposed Business Plan or the proposed tariff, as the case may be, and such other matters as may be stipulated by the Commission, and inviting suggestions and objections from the public:

Provided that the applicant shall make available a hard copy of the complete application, to any interested party, at such locations and at such rates as may be stipulated by the Commission:

Provided further that the applicant shall also put up on its website, in downloadable spreadsheet format showing detailed computations, the application made to the Commission along with all regulatory filings, information, particulars and documents in the manner so stipulated by the Commission:

Provided further that the web-link to the information mentioned in the second proviso above shall be easily accessible, archived for downloading and shall be prominently displayed on the applicant's website:

Provided also that the applicant may not provide or put up any such information, particulars or

documents, which are confidential in nature, with the prior approval of the Commission.

*Explanation* – for the purpose of this Regulation, the term "downloadable spreadsheet format" shall mean one (or multiple, linked) spreadsheet software files containing all assumptions, formulae, calculations, software macros and outputs forming the basis of the application.

12.11 Notwithstanding anything contained in these Regulations, in case of delay/ non-submission of the application for approval of the Business Plan and application for determination of tariff, as the case may be, additional information, the Commission may initiate suo-motu proceedings mandating the filing of the said applications.

Provided that in the event of the licensee not filing the application despite the aforesaid proceeding, the Commission may on its own, decide the tariff based on previous year's tariff details and after incorporating suitable adjustments.

Provided further that the Commission may also pass directions under Section 129 and/or Section 142 of the Act, if required.

### 13. Order approving the Business Plan and Tariff Order

- 13.1 An Order approving or rejecting the Business Plan shall, as far as practicable, be issued within thirty (30) days from receipt of a complete Business Plan.
- 13.2 The Commission shall, within one hundred and twenty (120) days from receipt of a complete application for tariff determination and after considering all suggestions and objections received from the public and other stakeholders:
  - (a) issue a Tariff Order accepting the application with such modifications or such conditions as may be specified in that Order;
    - (i) the charges to be recovered from various categories of consumers before taking into account the effect of Government subsidy
    - (ii) transmission and distribution losses determined together or separately
    - (iii) wheeling charges for open access consumers
    - (iv) surcharge for different categories
    - (v) additional surcharge, if considered necessary
  - (b) reject the application for reasons to be recorded in writing if such application is not in accordance with the provisions of the Act and the rules and Regulations made thereunder or the provisions of any other law for the time being in force:

Provided that an applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard before rejecting its application.

- 13.3 The applicant shall publish the tariff approved by the Commission within three (3) days in at least three (3) daily newspapers having wide circulation in the area of supply and shall put up the approved tariff / tariff schedule on its website and make available for sale, a booklet containing such tariff or tariff, as the case may be, to any person upon payment of reasonable reproduction charges.
- 13.4 The tariff so published shall be in force from the date specified in the said Order and shall, unless amended or revised, continue to be in force for such period as may be stipulated therein.

### 14. Adherence to Tariff Order

- 14.1 If a Distribution Licensee recovers a price or charge exceeding the tariff approved by the Commission and in accordance with these Regulations, the excess amount shall be payable to the person who has paid such price or charge, along with interest equivalent to the Bank Rate of the Reserve Bank of India without prejudice to any other liability that may be incurred by such Distribution Licensee.
- 14.2 The Distribution Licensee shall submit periodic returns as may be required by the Commission, containing operational and cost data to enable the Commission to monitor the implementation of its Order.

### SALES, POWER PURCHASE QUANTUM AND COST

### 15. Metered Sales forecast

### 15.1 Forecasting Methodology

Metered sales shall be treated as an uncontrollable parameter:

Provided that open access transactions shall not form part of the sales:

Provided further that sales forecast shall be based on past trends in each of the slabs of consumer categories. The compounded annual growth rate (CAGR) of past 2 to 3 years of sales within each of the slabs of a consumer category as per audited books of account shall be used to forecast up to short and medium (5 years) time range:

Explanation: For instance, while filing for 2015-16 ARR, audited sales figures, by slab by consumer category, pertaining to 2011-12, 2012-13 and 2013-14 shall be used. In case audit of books of accounts of last year (2013-14) is still pending, corresponding sales figures pertaining to 2010-11, 2011-12 and 2012-13 shall be used and the Distribution Licensee must expedite the process so that audited sales figures of immediately preceding three years shall be available during ARR filing from next year onwards.

Provided also that in case of following occurrences, prudent adjustment of forecasted metered sales shall be carried out:

- a) Abnormal variation in consumer mix in any given area (on the basis of proposed city plan, tax holidays, Government incentives for industrial establishments, migration of consumers due to open access, etc.)
- b) Inflection point in economic cycle (boom, slowdown, recession or expansion)
- c) Variations in weather conditions
- d) Materially significant findings during audit check as per Regulation 16.2:

Provided also that in cases where slab-wise sales to each consumer category are not available in audited books of accounts and only consolidated sales are available, the Distribution Licensee shall include the slab-wise sales in annexure to its Annual Report from next year onwards:

Provided also that if Audited books of accounts are not available, the Distribution Licensee shall get the accounts audited within a year of roll out of these tariff regulations so as to ensure that audited sales figures, by slab by consumer category, for last three preceding years are available for sales estimation from next year onwards.

### 15.2 Overhaul Exercise

- (a) A team shall be formed by Distribution Licensee, designated team of the Distribution Licensee to validate the status of meters, load of metered consumers and category classification of consumers in the area of operations of Distribution Licensee.
- (b) The overhaul exercise shall be a year-long assessment study conducted on monthly basis for the first year subsequent to the notification of these Regulations.
- (c) For the overhaul exercise, consumers shall be sampled for a monthly overhaul from the circles served by the Distribution Licensee:
  - Provided that the Sample so chosen shall be close representation of geographic, demographic, industrial/ commercial/ residential/ agricultural spread served by the Distribution Licensee:
- (d) In the event inconsistencies are found in the number of metered consumers, status of the meters, load at consumer premises or category classification of the consumers, the forecast arrived at in Regulation 16.1 on the basis of CAGR of historical (2-3 years) audited sales shall be adjusted accordingly as specified in Regulation 16.1.

### 16. Un-metered Sales Forecast

### Methodology for determination of un-metered sales

16.1 Section 55 of the Electricity Act, 2003, stipulated that no licensee shall supply electricity

after the expiry of 2 years from the appointed date, except the installation of a correct meter in accordance with the Regulations made in this behalf by the authority.

- The Central Electricity Authority issued CEA (installation and operation of meters), Regulations 2006. However in some utilities under the jurisdiction of JERC 100% metering has not yet taken place. Till such time 100% metering is achieved, the energy sales to unmetered consumers shall be considered on normative and it will be a controllable parameter.
- 16.3 The licensee shall strive to achieve 100% metering at the earliest and the time frame shall be submitted to the Commission.

#### 17. Treatment of Distribution Loss

Distribution loss shall be considered as a controllable parameter. Based on the assessment of metered and un-metered sales as per Regulations 15 and 16 of these regulations, the Commission shall prepare the baseline of distribution losses.

### 18. Power Purchase Quantum and Cost

- 18.1 Based on the sales forecast the power purchase quantum and cost shall be calculated.
- 18.2 The approved Power Purchase cost shall be net of expected revenue from sale of surplus power, if any, during lean period.
- 18.3 Revenue from sale of surplus power shall be estimated at weighted average price of bilateral purchases and power exchange rates for the same quarter of preceding year; subject to truing up.
- 18.4 If there is a short term requirement of power by the Distribution Licensee over and above the quantum as approved by the Commission and such requirement is on account of any factor beyond the control of the Licensee (shortage/non-availability of fuel, snow capping of hydro resources inhibiting power generation in sources stipulated in the plan, unplanned/forced outages of power generating units or acts of God), then the cost shall be directly passed on to the customer without prior approval of the Commission:

Provided that the cost of the additional power shall be allowed at the power exchange rate purchases:

Provider further that in such a case, the Distribution Licensee shall inform the Commission about the purchase of power over and above approved quantum with all of the supporting documents. Unless the Commission is satisfied that the additional power is capped by weighted average price of power exchange rates and bilateral market purchases for the same quarter, it may disallow the quantum and cost of this short term power procurement in the True Up order.

### 19. Treatment of Incremental Power procurement cost

The Distribution Licensee shall recover the incremental cost on account of fuel & power purchase adjustment in accordance with FPPCA formula provided in JERC Terms & Condition for determination of Tariff (first amendment) Regulations, 2009.

### **PART V**

### FINANCIAL PRINCIPLES

### 20. Principles for determination of ARR

- 20.1 The Aggregate Revenue Requirement for the Distribution Business of the Distribution Licensees for each year of the Control Period, shall contain the following financial parameters:
  - (a) Cost of Power Purchase;
  - (b) Fuel cost for own generation, if applicable;
  - (c) Operation and Maintenance expenses;
  - (d) Capital Investment Plan;

- (e) Depreciation;
- (f) Contingency Reserves;
- (g) Interest on Loan;
- (h) Interest on Working Capital;
- (i) Return on Equity;
- (j) Income Tax;
- (k) Provision for Bad & Doubtful Debts;
- (l) Other expenses;
- (m) Non-Tariff Income; and
- (n) Income from Other Business.
- 20.2 The data should be provided for three years.
  - (a) Audited figures for the previous year; information for the previous year shall be based on the audited accounts; in the absence thereof, the audited accounts for the immediately preceding year shall be filed along with the un-audited accounts for the previous year.
  - (b) Estimated figures for the current financial year should be based on actual figures for the first six months and the estimated figures for the second six-months of the year. The estimated figures for the second half year of the current financial year should be based on the actual audited figures for the second half of the previous year with adjustments that reflect known and measurable changes expected to occur between them. These adjustments must be specifically documented and justified.
  - (c) Forecasted figures for the ensuing year should be based on the current year figures with adjustments that reflect known and measurable changes expected to occur between them. These adjustments must be specifically documented and justified.

### 20.3 The information to be provided shall also include:

- (a) A statement of current tariff rates all applicable terms and conditions, and the expected full year revenue from the projected sales at the current tariff rates in the year in which the new tariffs are to be implemented.
- (b) A statement showing calculations of the estimated cost of providing the service required by the level of demand indicated in sub-clause (i) above for each consumer class during the same period.
- (c) A statement of the proposed tariff rate, price and charge, including a full statement of all applicable terms and conditions, as compared to those referred to (i) above. This statement should be shown in a form appropriate to the proposed tariff structure. Details should also be supplied of the publicity intended to be given to new tariff options when they are to be implemented.
- (d) A statement of the expected full-year revenue of the proposed tariff for the year in which the tariff is to be implemented.
- (e) If the proposed tariff is to be introduced after the beginning of the financial year a statement of the proportion of expected revenue and quantities supplied under each proposed rate during the remaining months of the financial year should be included.
- (f) A statement of the estimated change in annual expected revenue that would result from the proposed tariff changes in the year in which they are to be implemented state in 'Rupees' and 'Percentage' terms.

- (g) A study of marginal cost of the generators business, including time differentiated (time of use) short term marginal costs by voltage levels (wherever applicable) and a written explanation of the method used to calculate marginal costs. In addition, the statement shall include a comparison of the percentage of marginal costs recovered by the current and proposed tariff.
- (h) A written explanation of the rationale for the proposed changes in tariff and other charges, along with justification of the return on equity being requested.
- (i) A statement containing full details of the calculation of any subsidy/subventions received, due or assumed to be due from the State Government/UT administration.
- (j) A written explanation supported by calculations of tariff rates, of any proposed new tariff.
- (k) Such other information as the Commission may direct from time to time.
- 20.4 The Aggregate Revenue Requirement of the generating company or the licensee shall be worked out by adjusting the following in the revenue requirement computed under Clause (1) above:
  - (a) Necessary adjustments under Regulation 8 'Annual Review of performance and True up".
  - (b) Income from surcharge and additional surcharge from Open Access Consumers, if any;
  - (c) Transmission and/or Wheeling Charges recovered from the Open Access Customers, if any;

Authorized portion of Income/revenue from Other Business engaged in by the licensee for optimum utilization of assets, if any, in accordance with the provisions of the Other Business Regulations issued by the Commission.

### 21. Operation & Maintenance Expenses

(a) The Commission shall stipulate a separate trajectory of norms for each of the components of O&M expenses viz., Employee cost, R&M expense and A&G expense:

Provided that such norms may be specified for a specific Distribution Licensee or a class of Distribution Licensees.

- (b) Norms shall be defined in terms of combination of number of personnel per 1000 consumers and number of personnel per substation along with annual expenses per personnel for Employee expenses; combination of A&G expense per personnel and A&G expense per 1000 consumers for A&G expenses and R&M expense as percentage of gross fixed assets for estimation of R&M expenses:
- (c) One-time expenses such as expense due to change in accounting policy, arrears paid due to pay commissions etc., shall be excluded from the norms in the trajectory.
- (d) The expenses beyond the control of the Distribution Licensee such as dearness allowance, terminal benefits in Employee cost etc., shall be excluded from the norms in the trajectory.
- (e) The One-time expenses and the expenses beyond the control of the Distribution Licensee shall be allowed by the Commission over and above normative Operation & Maintenance Expenses after prudence check.
- (f) The norms in the trajectory shall be specified over the control period with due consideration to productivity improvements.
- (g) The norms shall be determined at constant prices of base year and escalation on account of inflation shall be over and above the baseline.
- (h) The Distribution Licensee specific trajectory of norms shall be identified by the Commission on the basis of absolute and relative analysis.
- (i) In absolute analysis, Distribution Licensee's audited accounts of operations for last three years,

expenses claimed for control period, historically approved cost, and prudence check shall be used by the Commission to estimate values of norms.

(j) In relative analysis, performance parameters of other Distribution Licensees within the same state or in other states, shall be considered by the Commission to estimate norms:

Provided that other Distribution Licensees so chosen shall have similar profile as that of the Distribution Licensee under consideration in terms of consumer mix, type of license area (city, state, etc.) type of distribution networks, viz., underground/overhead, HT-LT ratio, etc.

(k) Suitable average of outcomes of absolute and relative analysis shall be taken by the Commission to fix the norms over the control period for the Distribution Licensee.

### 21.1 Employee Cost

Employee cost shall be computed as per the approved norm escalated by wholesale price index (WPI), adjusted by provisions for expenses beyond the control of the Distribution Licensee and one time expected expenses, such as recovery/adjustment of terminal benefits, implications of pay commission, arrears and Interim Relief, governed by the following formula:

 $EMP_n = (EMP_b * WPI inflation) + Provision$ 

where:

EMP<sub>n</sub>: Employee expense for the year n

 $\text{EMP}_b$ ; including yearly increments of employees, bonus, promotion. VRS. Employee expense as per the norm

WPI inflation: is the average increase in the Wholesale Price Index (WPI) for immediately preceding three years

Provision: Provision for expenses as necessitated by the licensee due to expansion of the consumer base, yearly increments of Employees, and any expected one-time expenses as specified above.

### 21.2 Repairs and Maintenance Expenses

Repairs and Maintenance (R&M) expenses shall be calculated as percentage (as per the norm defined) of Opening Gross Fixed Assets for the year governed by following formula:

 $R&M_n = K_b^* GFA_n^* Inflation Index$ 

where:

R&M<sub>n</sub>: Repairs & Maintenance expense for n<sup>th</sup> year

GFA<sub>n</sub>: Opening Gross Fixed Assets for n<sup>th</sup>year

K<sub>b</sub>: Percentage point as per the norm

GFA: Gross Fixed Assets at the beginning of the Financial Year

Inflation Index is CPI: WPI:: 60:40

CPI is Consumer Price Index issued by Govt. of India & these indices are for immediately preceding three years

WPI is whole sale price Index issued by Govt. of India & these indices are For immediately preceding three years

### 21.3 Administrative and General Expenses

A&G expenses shall be computed as per the norm escalated by wholesale price index (WPI) and adjusted by provisions for confirmed initiatives (IT etc. initiatives as proposed by the Distribution Licensee and validated by the Commission) or other expected one-time expenses, and shall be governed by following formula:

 $A\&G_n = (A\&G_b * WPI inflation) + Provision$ 

where:

 $A\&G_n$ : A&G expense for the year n  $A\&G_b$ : A&G expense as per the norm

WPI inflation: is the average increase in the Wholesale Price Index (WPI) for immediately preceding three years

Provision: Cost for initiatives or other one-time expenses as proposed by the Distribution Licensee and validated by the Commission.

### 22. Capital Investment Plan

- (a) Capital expenditure shall be considered on scheme wise basis.
- (b) For capital expenditure greater than Rs.10 Crore (Rupees Ten Crore), the Distribution Licensee shall seek prior approval of the Commission.
- (c) The Distribution Licensee shall submit detailed supporting documents while seeking approval from the Commission.
  - Provided that supporting documents shall include but not limited to necessity and purpose of investment, capital structure, capitalization schedule, financing plan and cost-benefit analysis:
- (d) The approval of the capital expenditure by the Commission for the ensuing year shall be in accordance with load growth, system extension, rural electrification, distribution loss reduction or quality improvement as proposed in the Distribution Licensee's supporting documents.
- (e) The Commission may also undertake a detailed review of the actual works compared with the works approved in the previous Tariff Order while approving the capital expenditure for the ensuing year.
- (f) In case the capital expenditure is required for emergency work, the licensee shall submit an application, containing all relevant information along with reasons justifying the emergent nature of the proposed work, seeking post facto approval by the Commission.
- (g) The Distribution Licensee shall take up the work prior to receiving the approval from the Commission provided that the emergent nature of the scheme has been certified by its competent authority.
- (h) If capital expenditure is less than Rs. 10 Crore (Rupees Ten Crore), the Distribution Licensee shall undertake the execution of the plan with simultaneous notification to the Commission with all of the relevant supporting documents.
- (i) During the true-up exercise, the Commission shall take appropriate action as is mentioned in these regulations.
- (j) Consumer's contribution towards cost of capital asset shall be treated as capital receipt and credited in current liabilities until transferred to a separate account on commissioning of the assets.
- (k) An amount equivalent to the depreciation charge on such assets for the year shall be appropriated from this account as income to the profit and loss account over the useful life of the asset.

### 23. Depreciation

- (a) Depreciation shall be calculated for each year of the control period on the original cost of the fixed assets of the corresponding year.
- (b) Depreciation shall not be allowed on assets funded by capital subsidies, consumer contributions or grants.
- (c) Depreciation shall be calculated annually as per straight-line method over the useful life of the asset at the rate of depreciation. The same shall be as specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions of Tariff) Regulations, 2014. (The same may vary as notified by CERC from time to time.)
- (d) The residual value of assets shall be considered as 10% and depreciation shall be allowed to a maximum of 90% of the original cost of the asset.

Provided that Land shall not be treated as a depreciable asset and its cost shall be excluded while computing 90% of the original cost of the asset.

(e) Depreciation shall be charged from the first year of operation of the asset.

Provided that in case the operation of the asset is for a part of the year, depreciation shall be charged on proportionate basis.

(f) A provision of replacement of assets shall be made in the capital investment plan.

### 24. Interest on loan

- (a) The Distribution Licensee shall provide detailed loan-wise, project-wise and utilization-wise details of all of the pending loans.
- (b) If the equity actually deployed is more than 30% of the capital cost, equity in excess of 30% shall be treated as normative loan.
  - Provided that where equity actually deployed is less than 30% of the capital cost, the actual loan shall be considered for determination of interest on loans.
- (c) Actual loan or normative loan, if any, shall be referred as gross normative loan in this Regulation.
- (d) The normative loan outstanding as of 1st April of control period shall be computed by deducting the cumulative repayment as approved by the Commission (basis as mentioned below) up to 31st March of current period (a year before control period) from the gross normative loan.
- (e) The repayment for the control period shall be deemed to be equal to the depreciation allowed for the year.
- (f) Notwithstanding any moratorium period availed by the Distribution Licensee, the repayment of the loan shall be considered from the first year of the control period as per annual depreciation allowed.
- (g) The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis of actual loan portfolio at the beginning of each year of the control period, in accordance with terms and conditions of relevant loan agreements, or bonds or non-convertible debentures.

Provided that if no actual loan is outstanding but normative loan is still outstanding, the last available weighted average rate of interest shall be applicable.

Provided further that the interest on loan shall be calculated on the normative average loan of the year by applying the weighted average rate of interest.

Provided also that exception shall be made for the existing loans which may have different terms as per the agreements already executed if the Commission is satisfied that the loan has been contracted for and applied to identifiable and approved projects.

(i) The Distribution Licensee shall make every effort to refinance the loan as long as it results in net benefit to the consumers.

Provided that the cost associated with such refinancing shall be eligible to be passed through in tariffs and the benefit on account of refinancing of loan and interest on loan shall be shared in the ratio of 50:50 between the Distribution Licensee and the consumers.

Provided further that the Distribution Licensee shall submit the calculation of such benefit to the Commission for its approval.

(ii) The Distribution Licensee shall enable tracking of the loans converted into grants under schemes like APDRP by providing information and data regularly to the Commission and for ensuring that the interest on these loans which has been passed on to the consumers inappropriately in the earlier years shall be recovered from the Distribution Licensee.

### 25. Interest on Working Capital

Working capital for retail supply activity of the licensee shall consist of:

- (i) Receivables of two months of billing
- (ii) Less power purchase cost of one month
- (iii) Less consumer security deposit but excluding Bank Guarantee/Fixed Deposit Receipt
- (iv) Inventory for two months based on annual requirement for previous year.

The rate of interest on working capital shall be equal to the base rate for the State Bank of India on the 1<sup>st</sup> April of the relevant financial year. The interest on working capital shall be payable on normative basis notwithstanding that the licensee has not taken working capital loan from any outside agency or has exceeded the working capital loan worked out on the normative figures.

### 26. Contribution to Contingency Reserve

- (a) If the Distribution Licensee has made an appropriation to the Contingency Reserve, a sum not less than 0.25 per cent and not more than 0.5 per cent of the original cost of fixed assets shall be allowed annually towards such appropriation in the calculation of ARR.
- (b) The amount so appropriated shall be invested in securities authorized under the Indian Trusts Act, 1882 within a period of six months of close of the financial year.
  - Provided that no diminution in the value of contingency reserve be allowed to be adjusted as a part of tariff.
- (c) The Contingency Reserve shall not be drawn upon during the term of the license except to meet such charges as may be approved by the Commission, such as following:
  - (i) Expenses or loss of profits arising out of accidents, strikes or circumstances which the management could not have prevented;
  - (ii) Expenses on replacement or removal of plant or works other than expenses requisite for normal maintenance or renewal;
  - (iii) Compensation payable under any law for the time being in force and for which no other provision is made.

Provided that such drawl from contingency reserve shall be computed after making due adjustment for any other compensation that may have been received by the Licensee as part of an insurance cover.

### 27. Return on equity

(a) Return on equity shall be computed on 30% of the capital base or actual equity, whichever is lower:

Provided that assets funded by consumer contribution, capital subsidies/grants and corresponding depreciation shall not form part of the capital base. Actual equity infused in the Distribution Licensee as per book value shall be considered as perpetual and shall be used for computation in this Regulation.

- (b) The return on the equity invested in working capital shall be allowed from the date of start of commercial operation.
- (c) 16% post-tax return on equity shall be considered irrespective of whether the Distribution Licensee has claimed return on equity in the ARR petition.

### 28. Income Tax

- (a) Income Tax, if any, on the Licenced business of the Distribution Licensee shall be treated as expense and shall be recoverable from consumers through tariff. However, tax on any income other than that through its Licenced business shall not be a pass through, and it shall be payable by the Distribution Licensee itself.
- (b) The income tax actually payable or paid shall be included in the ARR. The actual assessment of income tax should take into account benefits of tax holiday, and the credit for carry forward losses applicable as per the provisions of the Income Tax Act 1961 shall be passed on to the consumers.

(c) Tax on income, if any, liable to be paid shall be limited to tax on return on the equity component of capital employed. However any tax liability on incentives due to improved performance shall not be considered.

### 29. Non-Tariff Income

- a) All incomes being incidental to electricity business and derived by the Licensee from sources, including but not limited to profit derived from disposal of assets, rents, delayed payment surcharge, meter rent (if any), income from investments other than contingency reserves, miscellaneous receipts from the consumers and income to Licensed business from the Other Business of the Distribution Licensee shall constitute Non-Tariff Income of the Licensee.
- b) Interest on security deposits, in excess of the rate specified by the Commission shall be considered as Non Tariff income of the Licensees.
- c) The amount received by the Licensee on account of Non-Tariff Income shall be deducted from the aggregate revenue requirement in calculating the net revenue requirement of such Licensee.

### 30. Income from Other Business

Where the Licensee is engaged in any other business, the income from such business will be deducted from the Aggregate Revenue Requirement in calculating the revenue requirement of the Licensee in the manner and in proposition as may be specified by the Commission.

Provided that the Licensee shall follow a reasonable basis for allocation of all joint and common costs between the Distribution Business and the Other Business and shall submit the Allocation Statement as approved by the Board of Directors to the Commission along with his application for determination of tariff.

Provided further that where the sum total of the direct and indirect costs of such Other Business exceed the revenues from such Other Business or for any other reason, no amount shall be allowed to be added to the aggregate revenue requirement of the Licensee on account of such Other Business.

### 31. Treatment of Regulatory Assets

- (a) Regulatory assets shall not be created against cost/loss incurred in normal course of business.
   Provided that in such a case, financing arrangement or capital restructuring shall be deployed to cover the gap.
- (b) The amortization schedule corresponding to the regulatory asset shall be prepared and put in effect along with creation of the regulatory asset.
- (c) The carrying cost of the regulatory asset shall be in line with the State Bank Advance Rate (SBAR) for the tenure for which regulatory asset has been created.
- (d) There shall not be a long gap in truing up of accounts of the Distribution Licensee so as to prevent the need for creation of the regulatory asset.

### 32. Bad and Doubtful Debt

Bad and doubtful debt shall be limited to 1% of the receivables in the true-up, subject to the condition that amount of bad and doubtful debt is actually written-off in the licensee's books of accounts.

### **PART-VI**

### WHEELING AND RETAIL SUPPLY BUSINESS

### 33. Segregation of Wheeling Business and Retail Supply Business

The Distribution Licensee shall maintain separate books of accounts for Wheeling Business and Retail Supply Business for such period until accounts are segregated and separate books of accounts are maintained, the Commission shall decide the ratio of allocation of all expenses and return component, based on data obtained from the Distribution Licensees. The following broad principles shall be followed for allocation of costs towards wheeling business and supply business, out of the

total annual revenue requirements determined:

- (a) Power purchase cost shall be allocated to the Supply business;
- (b) Operation and Maintenance expenses shall be segregated between wheeling and supply businesses in such manner as may be determined by the Commission;
- (c) Majority of the capital expenditure related expenses, viz., depreciation, interest and return on equity, shall be included under the wheeling business.

Note— The Supply Business would require only a small component of the capital expenditure towards billing and collection activity.

### **PART-VII**

### **NORMS OF OPERATION**

### 34. Target Availability and Recovery of ARR

- a) The availability index of wheeling business & supply business shall be maintained separately by the Licensee and informed to the Commission. The Distribution Licensee shall maintain data on planned maintenance outages, load shedding, force majeure outages and trippings.
- b) The incentive/disincentive shall exclude the circumstances when the actual supply differs from the contracted supply due to force majeure situations, weather conditions, extreme monsoon failure, station outages, etc. which are beyond the control of the Distribution Licensee.
- c) The Commission shall specify progressively increasing normative levels of Availability for Wires and Supply Business of the Distribution Licensee on the basis of past performance over the control period.

Provided that the Availability of Supply Business shall not be lower than 90% and shall gradually increase to 95% or 98% in no less than three years.

### **PART-VIII**

### SUBSIDY, CROSS SUBSIDY AND TARIFF DESIGN

### 35. Subsidy

a. The Commission shall determine the ARR and Tariff without considering subsidy.

Provided that if the State Government/UT administration declares subsidy for the categories of consumers after notification of Tariff Order, the licensee shall intimate the Commission about the same

Provided further that in case the State Government/UT administration declares subsidy in advance or during tariff filing proceedings and the licensee incorporates the subsidy in the petition, the Commission shall notify two tariff schedules, one with subsidy and the other without subsidy.

Provided also that the Government's subsidy provided for or declared shall be supported by documentary evidence of time schedule of payment, mode of the payment of the subsidy and categorization of the subsidy amount into subsidized consumer categories.

- (b) The Commission may clarify in the tariff order, post the declaration from the Government, the quantum of Government's subsidy as applicable to the fuel cost adjustment along with the range (%) of variable cost upto which the fuel adjustment cost shall not be passed to the consumers, category wise classification, mode of payment and schedule of payment etc.
- (c) In case of non-receipt of subsidy from the Government, the licensee shall charge consumers as per the tariff schedule which is approved by the Commission without consideration of subsidy.

### 36. Cross Subsidy, Allocation of Cost to Serve and Tariff Design

- (a) The Commission shall gradually move towards reduction of cross subsidy in accordance with Electricity Act, Tariff Policy & such other guidelines of the government as applicable.
- (b) The Distribution Licensee shall compute the consumer category-wise cost of supply as per the methodology elaborated below.

- (c) **Allocation of Cost:** The Cost to serve shall be allocated to the consumer categories in the following manner:
  - **Step 1: Functional Demarcation of Cost** Total cost shall be divided on the basis of functions performed such as power purchase, distribution etc.
  - **Step 2: Classification of Cost** –Each of the functionalized costs shall be further classified, based on its intrinsic nature into Demand related cost, Energy related cost and Customer related cost. Demand related costs shall generally be of fixed nature, related to capacity creation and shall include interest on capital borrowing, depreciation etc. Energy cost shall be related to quantum of electricity consumption of consumer, such as fuel cost, interest on working capital, etc. Consumer related cost shall include operating expenses associated with meter reading, billing and accounting.

### **Step 3: Allocation of Cost**

- (i) **Allocation of Demand Costs:** Demand costs of all three functions shall be allocated among consumer categories on the basis of average coincident peak demand of the tariff categories (average of past 12 months). To facilitate determination of average coincident peak demand for the various tariff categories, load research shall be made an integral part of the operations of the DISCOMs and systematic load research exercises shall be initiated.
- (ii) Allocation of Energy Costs: Energy related costs of Distribution functions shall be allocated to consumer categories on the basis of ratio of electricity consumption of each consumer category to the total electricity consumption under the purview of the Distribution Licensee. Energy related costs of Power purchase shall be allocated to various tariff categories on the basis of block approach on merit order dispatch and incremental principle, where each tariff category shall be allocated the incremental (energy related) power purchase cost on the basis of their respective share in the incremental power purchase. For the purpose of operationalising the block approach and incremental principle, the Commission shall identify and notify a suitable year as the "base year".
- (iii) **Allocation of Customer Costs:** Customer related costs shall be allocated to consumer categories on the basis of the ratio of number of consumers in each category to total number of consumers under the purview of the Distribution Licensee.
- (d) Summation of allocated Demand cost, Energy cost and Customer cost across functions shall be total Cost to serve for respective consumer categories. Cost to serve reduced by revenue from a consumer category shall give total subsidy for that category. Total subsidy for a consumer category reduced by Government subsidy, if any, shall be cross-subsidy for that consumer category.
- (e) The consumers below poverty line who consume power below a specified level, say 30 units per month, shall receive a special support through cross subsidy.

### (f) Cross-subsidy surcharge and additional surcharge in Open Access

- (i) The amount received or to be received by the licensee on account of cross-subsidy surcharge and additional surcharge, as approved by the Commission from time to time in accordance with the Regulations specified by the Commission, shall be shown separately against the consumer category that is permitted open access as per the phasing plan.
- (ii) Cross-subsidy surcharge and additional surcharge shall be shown as revenue from the tariff from the consumer categories who have been permitted open access and such amount shall be utilized to meet the cross-subsidy requirements of subsidized categories and fixed costs of the Distribution Licensee arising out of his obligation to supply.

Provided that the licensee shall provide such details in its annual filings.

### (g) Tariff Design

- (i) The Commission shall be guided by the objective that the tariff progressively reflects the efficient and prudent cost of supply of electricity.
- (ii) After the costs have been allocated based on the method specified in clauses

- (c) and (d) above, tariffs for different consumer categories shall be designed with due regard to factors provided under section 62(3) of the Act.
- (iii) The time of day tariff would be structured across three time slabs to denote normal, peak and off-peak periods. The time-periods would vary according to different seasons of the year i.e. summer, winter and the monsoon season. The peak tariff would be 10%-20% higher than the normal tariff and the off-peak tariff would be priced 5%-10% lower than the normal tariff.
- (iv) Time of Day tariff may be introduced in a phased manner, wherein in phase 1 it would be for HT Consumers, in phase 2 for LT consumers consuming more than 25 KW and in phase 3 for LT consumers consuming more than 10 KW.

#### **PART IX**

### **MISCELLANEOUS**

### 37. Power to amend

The Commission may, at anytime, amend any provision of these Regulations.

### 38. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

### 39. Repeal and savings

- 39.1 Save as otherwise provided in these Regulations, the Joint Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2009 for Distribution Licensee.
- 39.2 Notwithstanding such repeal, any proceedings before the Commission pertaining to the period prior to the commencement of the Control Period, including Petitions for True up of expenses, annual performance review, etc. shall be governed by Joint Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Determination of Tariff) Regulations, 2009.

ANISH GARG, Director JERC

[ADVT. III/4/Exty./218-I/2014]

### These formats shall be furnished for current year, and for the three years of MYT control period

FORMAT-1

(Name of the Applicant)
AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR \_\_\_\_\_\_
ENERGY DEMAND
YEAR

Sr. No.	Category of Consumer***	No. of Consumer at the end of the Year (Nos.)	Connected Load at the end of the Year (KW)	Demand (in MW)		Energy Sale/Demand (MUs)
				Unrestricted	Restricted	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Domestic					
2.	Commercial (NRS)					
3.	Industrial					
(a)	HT Supply					
(b)	LT Supply					

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 53

(c)	Total			
(C)	1000			
4.	Public Lighting			
5.	Railway Traction			
6.	Total Merered Sales (except Agriculture) within State/UT (total 1 to 5)			
7.	Agricultural Consumption			
(a)	Metered			
(b)	Un-metered			
(c)	Total			
8.	Total Demand/Sale within State/UT (6+7)			

<sup>\*\*\*</sup> Consumer category classifications may be suitably modified, if those in existence are different from the ones listed, or do not appear, in this Table/Format with a suitable forwarding letter/Note. If any such modification is effected in this Table/Format, the same may be carried out in the other Tables/Formats also, if necessary, in the same sequence.

**Note**: Month-wise agriculture consumption data as per sample meters may also be supplied for different years separately **for** agricultural pumpsets.

### <u>Information regarding Distribution loss of licensee</u>

Name of State/UT						
Name of licensee	 	 	 			

S.	Particulars	Calcula- tion	Unit	Previous Years (Actuals)		Current Year (R.E)	Ensuing Year (Projection)
No							-
1							
	Generation (own as well						
	as any other connected		3.47.7				
	generation net after deducting auxiliary	A	MU				
	consumption) within area						
	of supply of DISCOM.						
2	Input energy (metered						
	Import) received at	В	MU				
	interface points of DISCOM network.	ь	1410				
3	Input energy (metered						
3	Export) by the DISCOM at	С	MU				
	interface points of DISCOM network.		IVIC				
4	Total energy available for						
	sale within the licensed	D=A+B-	MU				
	area to the consumers of the DISCOM	C	1110				
5	Energy billed to metered	C					
	consumers within the	Е	MU				
	licensed area of the DISCOM	L	1110				
6	Energy billed to un-						
0	metered consumers within	F	MU				
	the licensed area of the DISCOM@	1	1110				
7	Total energy billed	G=E+F	MU				
8	Amount billed to	G-L11	IVIC				
- 0	consumer within the	Н	Rs.				
	licensed area of DISCOM.	11	100.				
9	Amount realized by the						
	DISCOM out of the	I	Rs.				
	amount Billed at H#	1	10.				
10	Collection efficiency (%)	J=(I/H)x100					
10	(= Revenue realized/ Amount billed)	1 (2/11):1100	%				
11	Energy realized by the DISCOM		70		J		
	Zinengy rounded by the Discour	K=JxG	MU				
12	Distribution loss (%)	L={(D- G)/D}x1 00	%				

<sup>@</sup> norms for determining the energy billed to un-metered consumer may be specified. This should be only for two categories i.e. agricultural consumers and the households below poverty line. The norms could be on the basis of sample metering in case of the agricultural consumers which could be further refined on the basis of the results of the consultancy study on cost of supply to agricultural consumers.

**Note:** Audited figures must be taken from the commercial Department of the utility (Billing and Revenue Section) for computing the AT&C losses. However, 2013-14 provisional figures may be adopted subject to audited figures becoming available later in the year

<sup>#</sup> Amount received in the current year for the amount billed in the previous years should not be excluded in this head. However, subsidy received against the current year's sale of electricity should be considered in this head.

### FORMAT-3

## (Name of the Applicant) AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR \_\_\_\_\_\_ ENERGY BALANCE

(All figures in MU)

Sr.	Item	Previous	Current	Ensuing Year
No.		Year	Year (R.E)	(Projection)
		(Actuals)		
1	2	3	4	5
	(A) ENERGY REQUIREMENT			
1.	Energy sales to metered category within the State/UT			
2.	Energy sales to Agriculture consumers			
3.	Total sales within the State/UT			
4.	Sales to common pool consumers/UI			
5.	Sales outside State/UT			
6.	Sales			
	(a) To electricity traders			
	(b)Through PX			
7.	Sales to other distribution licensees			
	(a) Bilateral Trade			
	(b) Banking Arrangement			
8.	Total sales			
9.	T &D losses			
	(i) %			
	(ii) MU			
10.	Total energy requirement			
	(B) ENERGY AVAILABILITY			
1.	Net thermal generation (Own+IPP+Share from Central Stations)			
2.	Net hydel generation (own+shared)			
3.	Power Purchased from			
	(a) Common Pool/UI			
	(b)Traders			
	(c) PX			
	(d) Others			
4.	Net Power purchase (1+2+3)			
5.	Total energy availavility			

### **FORMAT-4**

# (Name of the Applicant) AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR \_\_\_\_\_ POWER PURCHASE COST YEAR\_\_\_\_\_

Sr. No.	Source	Capacity (MW)	Firm allocatio n to licensee	Ge n. (M U)	Availab ility / PLF (in %)	AFC (Rs. Crore)	Licen see share (%)	Purch ase (MU)	Exter nal losses (%)	Energy recd. by licensee (MU)	VC (Ps. / Unit)	FC (Rs. Crore)		Others (Rs. Crore)	Total (Rs. Crore)
			% M												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	NTPC														
1.															
2.															
II	NHPC														
3.															
4.															
III	NPCIL														
5.															
IV	Other Sources														
6.	Own- generation														
7.	Banking														
a)															
b)															
8.	Renewable														
9.	PTC/ Traders														
10.	Others (may be specified)														
11.	UI														
V	Other Charges														
12.	PGCIL														
13.	LDC														
14.	RLDC														
	Total														

**Note:** Information may be supplied separately for the previous year, current year & for MYT control period years.

### (Name of the Applicant) AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR \_

### Investment Plan (year-wise)

		Pro	ject Details					SOURC	E OF FINAN	ICING FOR SO	CHEME
Name of Scheme	Year of Start	Nature of Project (Select Appropriate code from below)	Approved by the Commission* (YES/NO)	Project Start Date (DD- MM-YY)	Project Completion date (DD- MM-YY)	Total capital expenditure approved by JERC (Rs. Cr.)	Accrual	Equity Infused **	Capital Subsidies/ grants component	Consumer Contribution component	Actual Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- Notes:

  \* Support with appropriate paper work i.e. Detailed Project Reports and other documents, as necessary.
- \*\* Provide break up of Government and Licensee/Private share.

Codes for selecting Nature of work.

- EHV Schemes.
- Distribution schemes: b.
  - System augmentation.
  - II. System improvement.
  - III. Schemes for loss reduction.
- c. Metering schemes.
- d. Capacitor.
- SCADA / DMS etc.
- Miscellaneous.

Format-6

### (Name of the Applicant)

### AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR

### **Capital Base and Return**

(Rs. in crores)

Sl. No.	Particulars	Previous Year	Current Year	Ensuing Year
		(Actuals)	(Actuals)	(Projection)
1	2	3	4	5
1	Gross block at beginning of the Year			
2	Less accumulated depreciation			
3	Net block at beginning of the Year			
4	Less accumulated consumer contribution			
5	Net fixed assets at beginning of the Year			
6	Reasonable return @3% of NFA			

Sl. No.	Particulars	WIP	Fixed Assets
1	2	3	4
1	As on 31st March of previous year		
	Add capital expenditure during current year Total:		
	Less transferred to fixed assets		
2	As on 31st March of current year		
	Add capital expenditure during ensuing year Total:		
	Less transferred to fixed assets		
3	As on 31st March of ensuing year		

Sl. No.	Particulars	Amount
1	Accumulated Depreciation	
2	As on 31st March of previous year	
3	Add: Depreciation for current year	

4	As on 31st March of current year
	Total Depriciation (2+3+4)
5	Consumers Contribution
6	As on 31st March of previous year
7	Addition during current year
8	As on 31st March of current year
	Total Consumers Contribution (6+7+8)

F	'ormat-	7

### (Name of the Applicant)

### ANNUAL REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR \_\_\_\_\_

### **Original Cost of Fixed Assets**

(Rs. in crores)

Sr.	Assets group	Value of	Addition	Closing	Addition during	Closing	Addition	Closing
No.		assets at the	during	balance at	the current	balance at the	during ensuing	balance at the
		beginning	previous	the end of	Year*	end of current	Year*	end of ensuing
		of precious	Year	previous		year		year
		year		year				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Thermal							
2	Hydro							
3	Internal							
	Combustion							
	Transmission							
4	On							
5	Distribution			•				
6	Others			•				
7	Total			•				

<sup>\*</sup>Estimated/Audited

### Format-8

### (Name of the Applicant)

### AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR

### Works-in-Progress

(Rs. in crores)

Sr. No.	Particulars	Previous year (actual)	Current year (RE)	Ensuing year (projections)
1	2	3	4	5
1.	Opening balance			
2.	Add: New investments			
3.	Total			
4.	Less investment capitalized			
5.	Closing balance			

### Format-9

### (Name of the Applicant)

### AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR \_\_\_\_\_

### **Interest Capitalized**

(Rs. in crores)

Sr. No.	Interest Capitalized	Previous Year (Actuals)	Current Year (RE)	Ensuing Year (Projections)
1	2	3	4	5
1.	WIP*			
2.	GFA* at the end of the year			

3.	WIP+GFA at the end of the year		
4.	Interest (excluding interest on WCL*)		
5.	Interest Capitalized		

\*WIP:Works-in-Progress; GFA:Gross Fixed Assets; WCL:Working capital loan

Format-10

### (Name of the Applicant) AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR \_\_\_\_\_ Details of loans for the year

[Information to be supplied for the previous year (actuals), current year (RE) and all the three MYT control period years (projections)] (Rs. in Crores)

Sl. No.	Particulars (source)	Opening balance	Rate of interest	Addition during the year	Repayment during the year		Amount o	f interest paid
							Current Year (RE)	Ensuing year (Projections)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SLR Bonds							
2.	Non SLR Bonds							
3.	LIC							
4.	REC							
5.	Commercial Banks							
6.	Bills discounting							
7.	Lease rental							
8.	PFC							
9.	GPF							
10.	CSS							
11.	Working capital loan							
12.	Others							
13.	Total							
14.	Add Goverment loan-							
	State Government-							
	Central Government							
15.	Total (13+14)							
16.	Less capitalization							
17.	Net interest							
18.	Add prior period							
19.	Total interest							
20.	Finance charges							
21.	Total interest and finance charges							

Format-11

## (Name of the Applicant) ANNUAL REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR \_\_\_\_\_\_ Information regarding restructuring of outstanding loans during the year

Sr. No.	Source of loan	Amount of original loan (Rs. in crores)	Old rate of interest	Amount already restructured (Rs. in crores)	Revised rate of interest	Amount now being restructured (Rs. in crores)	New rate of interest
1	2	3	4	5	6	7	8

## (Name of the Applicant) AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR Value of Assets and Depreciation Charges

		v aiue (	of Assets an				1		1
			Previ	ious Year	Cur	rent Year	Ensuing Year		Accumu- lated
Sr. No	Particulars Name of the Assets	Rate of Depreciation*	Assets value at the beginning of the year	Depreciation charges	Assets value at the beginnig of the year	Depre- ciation charges	Assets value at the beginning of the year	Depreciation charges	Depre- ciation
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9	10
	(i)Thermal							-	
1.	Land and land rights					I			
	Buildings								
	Hydraulic works								
	Other civil works								
	Plant and machinery								
6.	Lines and cable network								
	Vehicles								
8.	Furniture and fixtures								
9.	Office equipment								
	Total								
	(ii) Hydel								
1.	Land and land rights								
2.	Buildings								
	Hydraulic works								
4.	Other civil works								
	Plant and machinery								
	Lines and cable network								
7.	Vehicles								
8.	Furniture and fixtures								
	Office equipment								
10.	Total (iii) Internal combustion								
1.	Land and land rights								
2.	Buildings								
	Hydraulic works								
	Other civil works								
	Plant and machinery								1
6.	Lines and cable network								1
	Vehicles								1
	Furniture and fixtures	1							1
	Office equipment	<u> </u>							
	Total (iv) Transmission	1							1
	(1v) 11ausiiussioii								
1.	Land and land rights								
2.	Buildings								
	Hydraulic works								
	Other civil works								
5.	Plant and machinery								
6.	Lines and cable network								
7.	Vehicles								
8.	Furniture and fixtures								
9.	Office equipment								

[भाग III-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 61

10.	Total			
	(V) Distribution			
1.	Land and land rights			
2.	Buildings			
3.	Hydraulic works			
4.	Other civil works			
5.	Plant and machinery			
6.	Lines and cable network			
7.	Vehicles			
8.	Furniture and fixtures			
9.	Office equipment			
10.	<b>Total</b>			
	(vi) Others Grand Total (i to vi)			

Note \* Depreciation rates as per CERC's Depreciation Schedule

Format-13

## (Name of the Applicant) AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR Repair and Maintenance Expenses

(Rs. in crores)

r.	D. (1)	Previous year	Current	Ensuing year
No	Particulars	(actual)	year (RE)	(Projections)
1.	2.	3.	4.	5.
	Plant & machinery			
	-Plant & Apparatus			
	-EHV substations			
	- 33kV substation			
1.	- 11kV substation			
	- Switchgear and cable			
	connections			
	- Others			
	Total			
2.	Building			
3.	Hydraulic works & civil works			
	Line cable & network			
	-EHV Lines			
	- 33kV lines			
	- 11kV lines			
4.	- LT lines			
	- Meters and metering			
	equipment			
	- Others			
	Total			
5.	Vehicles			
6.	Furniture & fixtures			
7.	Office equipments			
8.	Operating expenses			
9.	Total			

	be specified)		
11.	Total expenses		
12.	Less capitalized		
13.	Net expenses		
14.	Add prior period *		
	Total expenses charged to		
15.	revenue as R&M expenses		

<sup>\*</sup>Year-wise details of these charges may be provided.

## (Name of the Applicant) AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR Total Number of Employees

(Rs. in crores)

Sr.	Particulars	Previous year (actual)	Current year (RE)	Ensuing year (Projections)
No				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Number of employees as on 1st April			
2.	Employees on deputation/foreign service as on			
	1st April			
3.	Total (1 +2) number of employees			
4.	Number of employees retired/retiring during the year			
	Number of employees at the end of the year			
5.	(4-5)			

Note: Information of Number of Employees to be submitted for Generation, Transmission and Distribution separately.

	Format-15
(Name of the Applicant)	
AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR	_
Employee Cost for the year	_

[Information to be supplied for the previous year (actual), current year (revised) and ensuing year (projections) separately]

(Rs. In crores)

Sr.		Previous year	Current	Ensuing year
No	Particulars	(actual)	year (RE)	(Projections)
1.	2.	3.	4.	5.
	Salaries & Allowances			
1.	Basic pay			
2.	Dearness pay			
3.	Dearness allowance			
4.	House rent allowance			
5.	Fixed medical allowance			
6.	Medical reimbursement charges			

[भाग III-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 63

7.	Over time payment		
8.	Other allowances (detailed list to be attached)		
9.	Generation incentive		
10.	Bonus		
11.	Total		
	Terminal Benefits		
12.	Leave encashment		
13.	Gratuity		
14.	Commutation of pension		
15.	Workmen compensation		
16.	Ex-gratia		
17.	Total		
	Pension Payments		
18.	Basic pension		
19.	Dearness pension		
20.	Dearness allowance		
21.	Any other expenses		
22.	Total		
23.	Total (11+17+22)		
24.	Amount capitalized		
25.	Net amount		
26.	Add prior period expenses		
27.	Grand Total		

### Note:

- 1. Year-wise details of prior period employees cost, if any, may be provided.
- 2. Separate information of Employee Cost to be submitted for Generaion, Transmission and Distribuiton.

### Format-16

## (Name of the Applicant) AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR Administration and General Expenses

(Rs. In crores)

Sr. No	Sub-head	Previous year (actual)	Current year (RE)	Ensuing year (Projections)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Rent, rates & taxes			
2.	Insurance			
3.	Telephone, postage			
4.	Consultancy fees			
5.	Technical fees			
6.	Other professional charges			
7.	Conveyance & travel expenses			
8.	Electricity & water charges			
9.	Others			
10.	Freight			
11.	Other material related expenses			
12.	Total			
13.	Add/Deduct sare of others (to be specifed)	·		<u> </u>
14.	Total expenses			

15.	Less capaitalized		
16.	Net expenses		
17.	Add prior period*		
18.	Total expenses charged to revenue		

<sup>\*</sup>Year-wise details of these charges may be provided.

## (Name of the Applicant) <u>AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR</u> <u>Information regarding Bad and Doubtful Debts</u>

Sr. No.	Particulars	Amount (Rs. In crores)
1.	2.	3.
	Amount of receivables (audited)	
2.	Bad and doubtful debts actually written-off in the books of accounts	
3.	Provision made for debts in ARR	

### Format-18

## (Name of the Applicant) AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR Information regarding Working Capital for the current and ensuing year

		Amount (in Crores	s Rs.)
Sr. No.	Particulars	Current year (RE)	Ensuing year (projections)
1.	2.	3.	4.
1.	Two months receivables		
2.	Power Purchase Cost for one month		
3.	Total Consumer Security Deposit		
	Consumer Security Deposit excluding Bank Guarantee/ Fixed Deposit Receipts		
	Inventory for two months based on Aggregate Revenue Requirement of		
5.	previous year		
6.	Total (1-2-4-5)		

## (Name of the Applicant) <u>AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR</u> <u>Information regarding Foreign Exchange Rate Variation (FERV)</u>

Sr. No.	Particulars	Amount (Rs. In crores)
1	2	3
1.	Amount of liability provided	
2.	Amount recovered	
3.	Amount adjusted	

### Format-20

### (Name of the Applicant) <u>ANNUAL REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR</u> <u>Non Tariff Income</u>

(Rs. In Crores)

Sr. No	Particulars	Previous year (actual)	Current year (RE)	Ensuing year (Projections)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Meter/service rent			
2.	Late payment surcharge			
3.	Theft/pilferage of energy			
4.	Wheeling charges under open access			
5.	Income from trading			
6.	Income staff welfare activities			
7.	Misc. Receipts/income			
8.	Total income			
9.	Add prior period income*			
10.	Total non tariff income			

<sup>\*</sup>Year-wise details of prior period income may be provided.

### Format-21

## (Name of the Applicant) AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR Information regarding Revenue from Other Business

Sr. No	Particulars		Amount in Crores Rupees	
		Previous year (actual)	Current year (RE)	Ensuing year (Projections)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Total revenue from other business			
2.	Income from other business to be considered for			
	licensed business as per regulations			

**Note:** To be supplied for previous year, current year and ensuing year for which licence for other business was operating.

## (Name of the Applicant) AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR Lease Details

Sr. No.	Name of Lesser	Gross Assets (Rs.in crores)	Lease entered on	Lease Rentals	Primary period ended/ending by	Secondary  period ending  by
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

### Format-23

## (Name of the Applicant) AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR Information regarding Wholesale Price Index (All Commodities) (To be supported with documentary evidence)

Sr. No.	Period	WPT/CPI	Increase over previous years
1.	2.	3.	4.
1.	As on April 1 of Previous Year		
2.	As on April 1 of Current Year		
3.	As on April 1 of ensuring Year		

<sup>\*</sup>CPI is not necessary in case the same is deleted in draft Regulations 28.3(b).

### Format-24

## (Name of the Applicant) AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR Information regarding amount of equity and loan

Sr. No	Period	Amount of equity (Rs. In crore)	Amount of loan (Rs. In crore)	Ratio of equity & loan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	As on March 31 of previous Year			
2.	As on March 31 of current Year			
3.	As on March 31 of ensuring Year			

### (Name of the Applicant) AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR

(Rs. in crores)

Sr.	Item of expense	Proposed by	Revised by the Licensee	Approved by the Commission	Actuals as per accounts
1	2	3	4	5	6
	Cost of fuel	3	-	J	Ü
1.	Cost of power				
2.	purchase				
3.	Employee costs				
4.	O&M expenses				
_	Administration and				
	general expenses				
	Depreciation				
	Interest charges				
	(including interest on				
	working capital)				1
	Return on NFA				
	/Equity				
	Provision for Bad				
9.	Debit				
10.	Total revenue				
	requirement				
	Less: non tariff				
11.	income				
12.	Net revenue requirement (10-11)				
13.	Revenue from tariff				
14.	Gap (12-13)				
	Gap for				
	Total gap (14+15)				
	Revenue surplus				
17.	carried over				
18.	Additional revenue				1
	from proposed tariff				
	Regulatory asset				†
	Energy sales (MU)				

### Note:

- i. Columns 1 to 6 applicable for previous year.
- ii. Columns 1 to 4 applicable for current year.
- iii. Columns 1 to 3 applicable for ensuring year.

## (Name of the Applicant) AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR THE YEAR \_\_\_\_\_\_ Revenue from Existing Tariff

(Information to be supplied for previous year (actuals), current year (RE), ensuing year (projections)

Sr. No.	Category of consumers	No. of Consumers	Energy sales (MU)	Contacted Max. Demand KVA	Demand Charges (Rs/KVA	Tariff rates (p/unit)	Revenue (Rs. in crores)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Domestic						
a)	First slab						
b)	Second slab						
c)	Third slab						
d)	Fourth slab						
	Total						
2.	NRS / Commercial						
3.	Public lighting						
4.	Industrial						
a)	HT						
b)	LT						
	Total						
5.	Bill boards & hoardings						
6.	Bulk supply						
7.	Railway traction						
8.	Common pool/ UI						
9.	Outside state						
10.	Total						
10.	Agriculture						
11.	Total						
12.	Add MMC and Other charges	s					
13.	Grand Total						

<sup>\*\*\*</sup>Consumer category classifications may be suitably modified, if those in existence are different from the ones listed, or do not appear, in this Table/Format with a suitable forwarding letter/Note. If any such modification is effected in this Table/Format, the same may be carried out in the other Tables/Formats also, if necessary, in the same sequence.